वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025
(Annual Administrative Report 2025)

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

गृह विभाग, राजस्थान सरकार

STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY

Home Department, Govt. of Rajasthan

फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जयपुर

डी.एन.ए.भवन, जयपुर

लक्ष्य

अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से अपराध के अकाट्य साक्ष्य उपलब्ध करवाकर आपराधिक न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना।

भावी दृष्टि

अपराधी के तेजी से बढ़ते हुए संसाधन, कौशल, चातुर्य, निपुणता एवं वर्तमान पारिदृश्य में अपराधी द्वारा अपराध किये जाने में प्रयुक्त संसाधनों व अपराध की जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुए अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निरन्तर तकनीकी सुदृढ़ीकरण किया जाना, जिससे अपराधी की शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित की जाकर अपराधी को अपराध से जोड़ने में वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध करवाये जा सके। भौतिक साक्ष्य के फोरेंसिक महत्त्व से पुलिस, अभियोजन व न्यायपालिका को अभिज्ञानित कराना ताकि अपराध उन्मूलन में प्रभावी योगदान देते हुए अपराध सिद्धि की दर में वृद्धि हो सके।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	सार संक्षेपः वैधानिक स्थिति, कार्य प्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य	2–3
2.	प्रकरणों का निष्पादन	3
3	तकनीकी सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	3–10
4.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाः अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका, मोबाईल फारेंसिक यूनिट्स	11
5.	ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः चरणबद्ध विकास	12–13
6.	संगठनात्मक चार्ट– परीदृश्य	14
7.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का संगठनात्मक स्वरूप	15
8.	नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि	16
9.	प्रकरण सांख्यिकी	17–18
10.	एफएसएल में परीक्षण किये गये महत्त्वपूर्ण प्रकरण	19–28
11.	घटना स्थल निरीक्षण : महत्त्वपूर्ण प्रकरण	29–33
12.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्षैत्रीय प्रयोगशालाओं का पता व दूरभाष	34
13.	विशेष पहल एवं वर्ष 2025 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ एवं भविष्य की योजना	35
14.	झलक–2025	36

सार संक्षेप : राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला
वैधानिक स्थिति,कार्यप्रणाली एवं प्रशासनिक परिदृश्य

वैधानिक स्थिति

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 न्यायालय को तकनीकी प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष एवं विवरण प्रस्तुत करने हेतु विशेषज्ञ राय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है।

राजकीय फोरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 329 के अन्तर्गत बिना व्यक्तिगत उपस्थिति के न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में मान्य है। धारा 329 में किसी केन्द्रीय अथवा राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को राजकीय वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में परिभाषित किया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञः एफ.एस.एल. में विज्ञान की विभिन्न विधाओं में विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव धारित व्यक्ति ही विशेषज्ञ हैं। विशिष्ट योग्यताधारित अपराध की विशेषज्ञ भौतिक साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक रिपोर्ट देते हैं जो संबंधित जांच एजेन्सी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है।

कार्यप्रणाली

पारदर्शिता व गुणवत्ता बनाये रखने के लिये घटनास्थल व प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा एक 'टीम वर्क' के रूप में निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैंः–

1. अपराध संबंधित वैज्ञानिक साक्ष्यों की पहचान हेतु घटनास्थल का निरीक्षण।
2. जाँच अधिकारी को भौतिक साक्ष्य के वैज्ञानिक महत्व व अपराध सिद्धि मे इससे प्राप्त होने वाली साक्ष्य बाबत् अवगत कराना।
3. घटनास्थल, संदिग्ध/आरोपी एवं पीड़ित से प्राप्त अपराध प्रादर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर फोरेंसिक परीक्षण रिपोर्ट प्रदान करना।
4. वैज्ञानिक साक्ष्यों को श्रृंखलाबद्ध कर अपराधी को अपराध से जोड़ने, अपराध कारित करने की विधि व उद्देश्य का स्थापित करने में योगदान।
5. माननीय न्यायालयों में आवश्यकातुसार साक्ष्य प्रस्तुतीकरण।

इसके अतिरिक्त प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों व अन्य जांच ऐजेंसियों के अन्वेषण अधिकारियों को अपराध अनुसंधान सम्बंधी प्रशिक्षण/ व्याख्यान दिये जाते हैं जिससे प्रयोगशाला द्वारा अपराध अनुसंधान में दी जा रही सहायता की महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकें।

प्रयोगशाला में प्रादर्शों का परीक्षण एवं विश्लेषण कार्य, विभिन्न विषयों से सम्बंधित अनुभागों में उनके लिए ''डायरेक्ट्रेट ऑफ फोरेंसिक साईन्स सर्विसेज, गृह मंत्रालय, भारत सरकार'' द्वारा निर्धारित मेनुअल्स के अनुसार पूर्ण गोपनीयता एवं निष्पक्षता के साथ किया जाता है। प्रत्येक अनुभाग स्तर पर प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक कार्यों का पर्यवेक्षण उपनिदेशक/सहायक निदेशक द्वारा किया जाता है। सहायक निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक एवं अन्य सहायक स्टाफ को मिलाकर एक वर्किंग यूनिट का गठन किया जाता है।

एफ.एस.एल. में प्रकरणों के परीक्षण का कार्य सामान्यतः ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' आधार पर किया जाता है। विशेष परिस्थितियों जैसे न्यायालय में केस की सुनवाई निर्णय की स्टेज पर होने, आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में होने या जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होने, न्यायालय अथवा अनुसंधान की कार्यवाही बिना एफ.एस.एल. रिपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पाने अथवा प्रकरण के सामाजिक तौर पर अतिसंवेदनशील होने के कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के मामलों इत्यादि में प्राथमिकता पर भी परीक्षण किया जाता

है। अति–संवेदनशील मामलों में प्राथमिकता पर परीक्षण की व्यवस्था भी रखी गई है। वैज्ञानिक जांच में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि प्रकरण की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र दी जा सके।

प्रशासनिक परिदृश्य

जयपुर मुख्यालय पर उच्च तकनीकी व आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित राजस्थान की मल्टीडिस्प्लीनरी प्रयोगशाला एवं समस्त संभागों पर स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण निदेशक द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2006 से प्रयोगशाला राज्य सरकार के गृह विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य कर रही है एवं वर्ष 2010 में निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है।

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के सामान्य प्रशासनिक कार्य अतिरिक्त निदेशक/उपनिदेशक स्तरीय अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जाते है।

वर्तमान में जयपुर मुख्यालय पर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों –जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर व भरतपुर पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें तथा राज्य के जिला मुख्यालयों पर 51 जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्य कर रही हैं। जयपुर स्थित शीर्षस्तरीय मुख्य प्रयोगशाला में विधि विज्ञान के 13 विषयों में, क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालायें बीकानेर में 7, जोधपुर में 6, अजमेर व कोटा में 5 व भरतपुर व उदयपुर में 4 खण्डों में परीक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के कुल 639 पद स्वीकृत है, मंत्रालयिक एवं लेखा संवर्ग, वाहन चालक एवं सहायक संवर्ग के 108 पद स्वीकृत है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग के वर्तमान में 365 पद रिक्त हैं जिन को भरे जाने की प्रक्रिया प्राथमिकता पर जारी है।

प्रकरणों का निष्पादन

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर एवं क्षेत्रीय स्तर की जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर एवं भरतपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2025 में 32606 अपराध प्रकरणों के 305023 प्रादर्शों का विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से परीक्षण किया गया एवं फोरेंसिक रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई गई। वर्ष भर ऐसे प्रकरणों की संख्या अधिक रही जिनमें अपराध के तरीके सामान्य से जटिल थे और सामाजिक तौर पर अधिक संवेदनशील थे। प्रकरणों के परीक्षण के आंकड़े परिशिष्ठ में खण्डानुसार दर्शाये गये हैं।

फोरेंसिक रिपोर्ट्स से जहां एक ओर अपराध अन्वेषण को दिशा देने में सहयोग प्रदान किया गया वहीं दूसरी ओर न्यायालयों में अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध साबित करने में महत्त्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में माननीय न्यायालयों द्वारा एफ.एस.एल. की 'एक्सपर्ट रिपोर्ट' के आधार पर अपराधियों को सजा सुनाई हैं।

एफ.एस.एल. वैज्ञानिकों द्वारा वर्ष 2025 में कुल 8000 अपराध घटनास्थलों को निरीक्षण किया गया।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान ने उन्नत वैज्ञानिक सुविधाओं को विकसित किए जाने के फलस्वरूप न केवल तकनीकी श्रेष्ठता अर्जित की है अपितु अपने द्वारा जारी श्रेष्ठ एवं गुणवत्तायुक्त परीक्षण रिपोर्ट के कारण भारत की उच्च कोटि की अग्रणी प्रयोगशालाओं में अपना स्थान बना लिया है।

तकनीकी सुदृढ़ीकरण व गुणवत्ता आधार पर अनेक राष्ट्रीय स्तरीय जांच एजेंसी जैसे– एन. आई.ए., सी.बी.आई. एवं भारतीय सेना द्वारा भी एफ.एस.एल. राजस्थान में फोरेंसिक परीक्षण

कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रयोगशाला आतंककारी, हिंसक, तस्करी, आर्थिक अपराध, घूसखोरी, भूमाफिया, जालसाजी, मादक, विस्फोटक, वन्यजीव अपराध, साइबर अपराध, जाली मुद्रा एवं अन्य संगठित अपराधों के प्रादर्शो की जाँच में सक्षम है। प्रयोगशाला में विशिष्ट फोरेंसिक क्षेत्रों में कुल 13 खण्ड है, जिनमें अपराधों की जाँच, भौतिक साक्ष्य एवं उपकरणों आदि का विवरण निम्न प्रकार है–

डी.एन.ए. खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**–हत्या, दुष्कर्म, पोक्सो अपराध, सामूहिक बलात्कार, नवजात शिशु की अदला–बदली, संदिग्ध पैतृकता, व्यक्ति की सुनिश्चित पहचान, गुमशुदगी, बम विध्वंश, आतंकी एवं आपदा विध्वंशात्मक घटना, मानव तस्करी आदि से सम्बन्धित अपराध इत्यादि ।

डीएनए लैब में उपकरणों पर कार्य करते वैज्ञानिक

क्यूआरटी डी.एन.ए टीम– विशेष रूप से 12 वर्ष आयु तक के अबोध बालक–बालिकाओं के साथ हुये दुष्कर्म, सामूहिक बलात्कार, हत्या आदि से सम्बन्धित अपराध प्रकरणों में त्वरित डीएनए परीक्षण हेतु।

जीन सीक्वेंसर पर डीएनए एनालिसिस करती क्यूआरटी

(2) **भौतिक साक्ष्यः**–शारीरिक द्रव जैसे रक्त, वीर्य, लार आदि लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट–बीड़ी, गुटका, लिफाफा व च्यूइंगम पर उपस्थित लार, टूथब्रश, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, भ्रूण, सड़े–गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से अथवा बम–विध्वंश के उपरांत प्राप्त शव के उत्तक–अंग, मिट्टी आदि।

(3) **उपकरणः**–ऑटोमेटेड डी.एन.ए. एक्सट्रेक्टर, पी. सी.आर., जेलडॉक सिस्टम, रियल टाइम पी.सी.आर, जीन सिक्वेंसर, रेफ्रीजरेटेड माइक्रोसेन्ट्रीफ्यूज मशीन, लेमीनर एयर फ्लो, क्वान्टस, प्लेटसेन्ट्रीफ्यूज, शेकिंग वाटरबाथ, डीएनए कन्सनट्रेशन मशीन आदि।

जैविक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**–बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, आग से जलने, डूबना, मृत्योपरान्त समयान्तराल, अपहरण, चोरी–डकैती के धारा 103, 109, 376, 139, 96, 85, 86, 80 बीएनएस 174, 176 बीएनएसएस से सम्बन्धित व एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, राज. गोवंश संरक्षण एक्ट आदि से सम्बन्धित अपराध आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर दुष्कर्म के प्रकरणों का परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य** :–वीर्य के धब्बे युक्त कपड़े, वेजाइनल व यूरेथ्रल स्वाब–स्मीयर, अन्य शारीरिक द्रव जैसे रक्त लार आदि लगे कपडे बाल, सिगरेट, बीड़ी, गुटका आदि पर लार, अस्थियाँ, दाँत, कपाल, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, सडे गले, क्षत–विक्षत या आंशिक जले शव अवशेष से प्राप्त उत्तक–अंग, त्वचा, भ्रूण, उल्टी, माहवारी रक्त, गर्भपात के समय का रक्तस्राव, भ्रूण, विसरा में डायटम, नारकोटिक पौधे जैसे भाँग–गाँजा, डोडा पोस्त आदि, नकली सिगरेट, बीड़ी, गुटका के तम्बाकू, नकली चाय, कीटों वानस्पतिक पदार्थ जैसे पत्तियां, रेशे, लकड़ी, बीज, परागकण आदि, पक्षियों के अंग, जन्तुओं के मांस, बाल, हड्डियां, खुर, सींग, चमड़ा, हाथी दाँत आदि।

(3) **उपकरणः**—हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड रिसर्च माइक्रोस्कोप, सुपर इम्पोजीशन डिवाइस, हाईरिजोल्यूशन कम्प्यूटराइज्ड स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप, कम्पेरिजन माइक्रोस्कोप, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, माईक्रोटोम, ऑवेन, इन्क्यूबेटर, डीप फ्रीजर, अल्ट्रा वॉटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आदि।

साईबर फोरेन्सिक खण्ड

(1)**जाँच की प्रकृतिः**—इंटरनेट जनित ई—कॉमर्स सम्बन्धित आर्थिक अपराध, ई—बैंकिंग धोखाधड़ी,सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध,तस्करों/जासूसों/ घुसपैठियों/आतंकियों से सम्बंधित संवेदनशील तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित अपराधों/साईबर अपराधों, महिला अशिष्ट निरुपेण, ब्लैकमैलिंग, मानहानी, डाटा हाईडिंग/टेंपरिग/डिलीशन, फेक डॉक्यूमेंट, धोखाधड़ी, जुआ—सट्टेबाजी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी, मनी लॉण्डरिंग,स्नीफिंग, स्टेग्नोग्राफी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, जैसे साईबर अपराधों के अतिरिक्त विडियो ऑथेंटिकेशन, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सामान्य अपराधों जिसमें प्रयुक्त कम्प्यूटर, मोबाईल तथा मेमोरी स्टोरेज मय इलेक्ट्रोनिक उपकरण/प्रोग्रामयुक्त इलेक्ट्रोनिक उपकरण आदि से सम्बंधित अपराध।

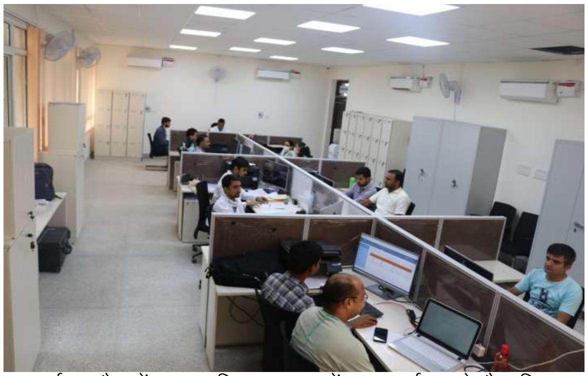
साईबर लैब में अत्याधुनिक उपकरणों पर कार्य करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—साईबर/कम्प्यूटर क्राइम से सम्बन्धित समस्त प्रोगामयुक्त इलेक्ट्रॉनिक/मेमोरी स्टोरेज युक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर, लैपटॉप, मोबाईलफोन, टैबलेट सिमकार्ड, पेनड्राईव, मेमोरीकार्ड, मैग्नेटिक एवं ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन, ए.टी.एम.मशीन, मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड स्वैपिंग मशीन, सॉफ्टवेयर इत्यादि।

(3) **उपकरणः**—कम्प्यूटर फोरेंसिक सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर— एनकेस फोरेंसिक वर्जन 25.1, एफ.टी.के. इंटरनेशनल वर्जन 8.1, मैगनेट एक्जीओम वर्जन 9.90, पासवेयर किट फोरेंसिक वर्जन 2026.1.0, मोबाईल फोरेंसिक सॉफ्टवेयर— यू.एफ.ई.डी. फॉर पीसी वर्जन 7.76, एक्स. आर. वाई. वर्जन 11.3, डीवीआर एक्जामिनर वर्जन 3.20, विडियो ऑथेन्टिकेशन सॉफ्टवेयर— वी.डी. एक्सपर्ट वर्जन 6.1, एम्पेड ऑथेन्टिकेट वर्जन 39075, एम्पेड फाईव वर्जन 39246 इमेजिंग डिवाईस : टी.एक्स1 वर्जन 23.4, फालकॉन निओ वर्जन 3.1, लॉजीक्यूब डोजियर आदि।

सीरम खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—रक्त से सम्बन्धित हिंसक अपराध, हत्या, प्रहार, दुष्कर्म, नवजात शिशु की अदला—बदली, संदिग्ध पैतृकता, वन्य जीव संरक्षण एक्ट, राजस्थान गोवंशीय संरक्षण एक्ट आदि की धारा 103, 109, 115(2), 201 बीएनएस से सम्बन्धित अपराध इत्यादि।

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—शारीरिक द्रव जैसे रक्त लगे कपड़े, टीश्यू, अस्थियाँ, दाँत, बाल, सिगरेट—बीड़ी, गुटका पर उपस्थित लार, त्वचा, नाखून कतरन में उपस्थित रक्त व टीश्यू, मिट्टी एवं विभिन्न प्रकार के हथियार आदि।

(3) **उपकरण** :—माइक्रोस्कोप, ऑवेन, सेन्ट्रीफ्यूज मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि।

रिसर्च माइक्रोस्कोप पर रक्त समूह की जाँच करते वैज्ञानिक

भौतिक खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—वाहन चोरी, सेंधमारी, डकैती, लूट—पाट, अपहरण, औद्योगिक एवं वाहन दुर्घटना, हत्या, टक्कर मारकर भागना, सड़क, बाँध, पुल, भवन सामग्री में मिलावट, आगजनी एवं शॉर्ट सर्किट, आरपीजीओ, स्टिंग ऑपरेशन, भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों में मांग सत्यापन, रिश्वत लेनदेन से संबंधित

ऑडियों फाईल्स् का ऑथेन्टीकेशन व आरोपी/परिवादी की आवाज का मिलान, 319 बीएनएस जालसाजी, कापीराईट एक्ट।

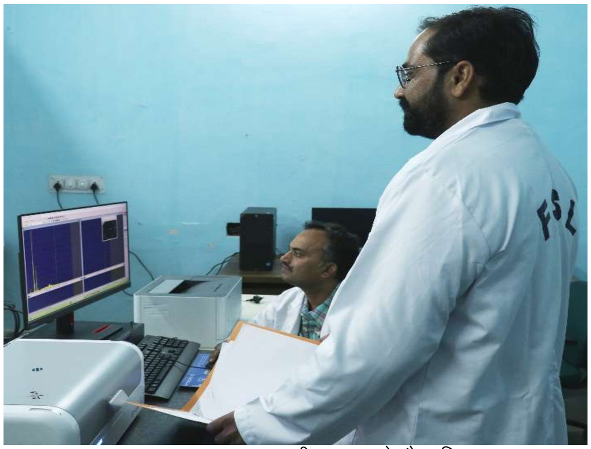

EDX उपकरण पर परीक्षण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य** :–मोटर कार, काँच, पेंट, मिट्टी, जूते/टायर निशान, औजार चिन्ह, रेशे, कपड़े, रस्सी, रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट से छेड़–छाड़, आग्नेय शस्त्र व वाहनों के इंजन/चेसिस नम्बर, नकली सामान, विद्युत आघात, विद्युत चोरी, अभियांत्रिक मशीन के भाग एवं औजार, भवन एवं औद्योगिक भवन का गिरना, सीमेंट कंकरीट, ईंट व अन्य सड़क सामग्री, सरिया, आवाज (ऑडियो) विश्लेषण द्वारा अपराधी की पहचान, फाँसी फंदा, कट मार्क्स, जुआ खेल, आगजनी, कॉपी राईट आदि।

(3) **उपकरण**:–एक्स.आर.एफ., कम्प्यूटराईज्ड स्पीच लैब (सीएसएल–4500), ऑडियो ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर (Acustek TD-EXPERT 6.0), वॉईस कम्पेरिजन सॉफ्वेयर(Acustek OT-EXPERT 6.1, Anubhooti Solution-ASL, ASV, ASD), डिजिटल ईमेज प्रोशेसिंग कम्पेरिजन माईक्रोस्कॉप, कम्प्यूटराईज्ड स्टीरियो माईक्रोस्कॉप आदि।

अस्त्रक्षेप खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृति**:–हत्या, हत्या का प्रयास, आत्महत्या, दुर्घटनावश गोली चलना, लूट–डकैती, अपहरण, दहशत फैलाना, डराना–धमकाना आदि।

Comparison Microscopeउपकरण पर जॉच करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य**:– विभिन्न आग्नेयास्त्र व उसके हिस्से, कारतूस, खोखा कारतूस, डॉट, छर्रे, बुलेट, बारूद, परकुशन कैप, टारगेट जहाँ पर छर्रे अथवा बुलेट लगी, देशी तमन्चा, आर्म्स एक्ट के हथियार इत्यादि।

(3) **उपकरण**:– ई.डी.एक्स 8000., कम्पेरिजन माईक्रोस्कोप एवं वेलोसिटी मेजरिंग यूनिट, मोबाईल फायरिंग रेस्ट आदि।

प्रलेख खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृति**:– भूमाफिया व जालसाजी, धोखाधडी, घोटाला, फिरौती, हत्या, बलात्कार, आत्महत्या, कॉपी–राइट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट।

(2) **भौतिक साक्ष्य**:– हस्तलेख, हस्ताक्षर, बैंक चैक, जायदाद खरीद–फरोख्त/हस्तांतरण संबंधी कागजात, टाइप लेख, दस्तावेजों में कांट–छांट, गुप्त लेख, रबर सील छाप, स्याही व कागज मिलान, जाली नोट, फोटोकॉपी मिलान, वाहनों के रजिस्ट्रेशन व क्रय–विक्रय के पत्रादि, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, वीजा, स्टाम्प पेपर, क्रेडिट कार्ड इत्यादि।

ई.एस.डी.ए. यू.वी. उपकरण से संदिग्ध दस्तावेज की जाँच करते वैज्ञानिक

(3) **उपकरण**:—स्टीरियो जूम माईक्रोस्कोप, वी.एस.सी. 8000, ई.एस.डी.ए. यू.वी. उपकरण आदि।

नारकोटिक्स खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृति**:—एनडीपीएस एक्ट, एक्साईज एक्ट एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त नशीले एवं मादक पदार्थों से संबंधित प्रकरण।

जी.सी. एम.एस. उपकरण पर विश्लेषण करते वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्य**:—मादक पदार्थ :— डोडा पोस्त, अफीम तथा उससे निर्मित मादक पदार्थ जैसे स्मैक (ब्राउन शुगर या हेरोइन), चन्डू, मदक आदि। केनाबिस प्लांट प्रोडक्टस :— भाँग, गांजा, चरस आदि तथा कोकीन। मनःप्रभावी पदार्थः— मैन्ड्रैक्स, मेथाक्यूलोन, बारबीच्यूरेट्स, बेन्जोडायजेपीन, केटामिन, एल.एस.डी., मफेड्रोन, मेथम्फीटामिन्स आदि ड्रग्स।

प्रतिबंधित रसायन :— जैसे एसीटिक एनहाइड्राइड, एन्थ्रेनेलिक एसिड, क्लोरो एसीटिक एसिड तथा मादक पदार्थों के व्युत्पन्न के निर्माण में प्रयुक्त रसायन।

(3) **उपकरण**:—जी.सी.मास, आर.आई., यू.वी.विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एच.पी.एल.सी. आदि।

रसायनखण्ड

(1) **जाँच की प्रकृति**:— एसीबी के 7, पीसी एक्ट (2018 संशोधन अधिनियम) से संबंधित प्रकरण, एसिड फेंकने से संबंधित प्रकरण, अज्ञात पदार्थ (ठोस/ द्रव)की पहचान से संबधित प्रकरण, पोक्सो एक्ट से संबधित प्रकरण। सोने चाँदी के आभूशणो को चमकाने के बहाने धोखाधड़ी करने से संबधित प्रकरण। मूर्ति खण्डित करने के प्रकरणो में मुलजिम के कपड़ो व औजार आदि पर मूर्ति के सिंदूर की उपस्थिति चाहने से संबधित प्रकरण।

एल्कोहल ऐनालाईजर उपकरण पर परीक्षण करते हुए

(2) **भौतिक साक्ष्य**:— रिश्वतखोरी के प्रकरणो में मुलजिम के हाथो व उससे संबधित वस्तुओ के धोवन।

Empty containers, काँच की टूटी बोतल, अधजले कपड़े, skin pieces, swabs etc. Acid से सनी मिट्टी, तेलीय पदार्थ, Pocso Act से संबधित प्रकरणो में पिड़िता व अपराधी के कपड़े। सोने चाँदी के आभूशणो को चमकाने के लिए काम में लिया जाने वाला द्रव। अज्ञात पदार्थ ठोस/द्रव।

(3) **उपकरण**:—डिजिटल बैलेंस, सेंट्रीफ्यूज, ओवन, मेल्टिंग पांइट उपकरण, डिस्टिलेशन उपकरण, एल्कोहल ऐनालाईजर आदि।

आर्सन एवं एक्सप्लोज़िव खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृति**:—आगजनी,मिलावट, दहेज हत्याव आवश्यक वस्तु 3/7 ई.सी. एक्ट 4,5 एक्सप्लोज़िव एक्ट,धारा 85, 103(1), 109, 61(2) बीएनएस आदि से सम्बन्धित प्रकरण।

(2) **भौतिक साक्ष्य**:—ज्वलनशील पैट्रोलियम पदार्थ, विलायक (सॉल्वेन्ट), एक्सप्लोज़िव्स मोबिल ऑयल, दहेज हत्या व आगजनी, विस्फोटक पदार्थ, आई.ई.डी. व विस्फोट जनित अवशेष।

(3) **उपकरण**:—पेट्रोल एवं डीजल एनालाइजर, गैस क्रोमेटोग्राफ, फ्लेश पाइंट उपकरण, ऑटोमेटिक डिस्टिलेशन एप्रेटस, डेन्सीमिटर आदि।

गैस क्रोमेटोग्राफ पर प्रादर्शों का विश्लेषण करते वैज्ञानिक

विष खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—हत्या, आत्महत्या, जहरखुरानी, दुर्घटना द्वारा मृत्यु जिसमें विष का संदेह हो, सर्पदंश, जन्तु विष, सामूहिक आपदा एवं 103, 328, 85, 86, 80 बीएनएस, 194, 196 बीएनएसएस, वन्य जीव एक्ट व राज. गोवंश संरक्षण एक्ट इत्यादि के अपराध।

एवीडेन्स इन्वेस्टीगेटर पर परीक्षण कार्य करते हुए

(2) **भौतिक साक्ष्यः**—विसरा, पेट की धोवन, उल्टी, रक्त, मूत्र में विष व विषजनित पदार्थ, जहरीली शराब, मादक व शामक औषधि, कीटनाशक दवाएं इत्यादि।

(3) **उपकरणः**—यू.वी. विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एच.पी.एल.सी., एच.पी.टी.एल.सी., माईक्रोवेव सोलवेन्ट एक्सट्रेक्टर, एलाइजा रीडर फॉर स्नेक वेनम, कम्पाउंड माइक्रोस्कोप, एवीडेन्स इन्वेस्टीगेटर, फोरियर ट्रांसफार्म इन्फ्रारेड स्पक्ट्रोमीटर, गैस क्रोमेटोग्राफ—हैड स्पेस, आदि।

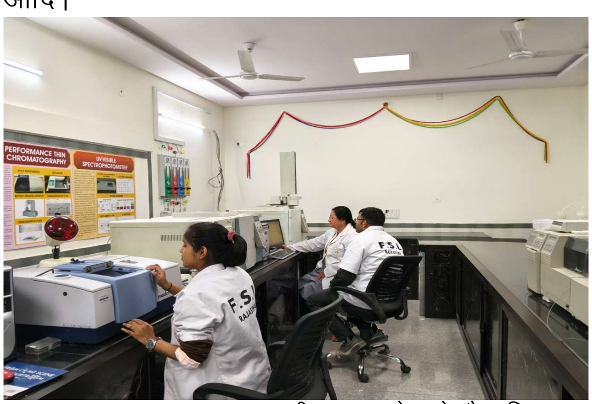

GC-MS उपकरण पर परीक्षण करते हुये वैज्ञानिक

फोटो खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः**—बलात्कार, दुष्कर्म, हत्या, आत्महत्या, अपहरण, चोरी—डकैती आतंकवाद, धोखाधड़ी, भूमाफिया, जालसाजी, ब्लैकमेलिंग, मानहानी, स्त्री अशिष्ट निरूपेण अधिनियम, पॉक्सो, आईटी एक्ट, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा आदि से संबंधित अपराधों में सीसीटीवी फुटेज/मोबाईल/कम्प्यूटर से रिकवर किये गये डाटा का कन्ट्रोल फोटो/विडियो ईमेज से फेस मैचिंग, फोटो एडिटिंग, टेम्परिंग, ट्रिक फोटोग्राफी, फोटो अध्यारोपण संबंधित परीक्षण, अपराध प्रदर्शन/घटनास्थल की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी तथा एसीबी से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में प्रादर्शों की क्लोन कॉपी बनाने एवं हैश वैल्यू की गणना करना आदि।

अपराध से संबंधित फोटोग्राफ/विडियो का परीक्षण

(2) **भौतिक साक्ष्यः**— सीडी, डीवीडी, पेनड्राईव, मेमोरी कार्ड, हार्ड—डिस्क, लैपटॉप, सी.पी.यू., मोबाईल फोन एवं घटनास्थल या अपराध से संबंधित साक्ष्य इत्यादि, धोखाधड़ी जमीन—जायदाद, स्टाम्प पेपर, पासपोर्ट, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित दस्तावेज व अन्य पहचान पत्रों पर फोटोग्राफ्स का परीक्षण, कन्ट्रोल फोटोग्राफ्स, कन्ट्रोल/डेमो वीडियो।

(3) **उपकरण एवं सॉफ्टवेयरः**— डीएसएलआर कैमरा, वीडियो कैमरा, रिप्रोविट यूनिट, कम्प्यूटर सिस्टम, स्कैनर, एच.पी. डिजाईन जेट प्लॉटर, कोनिका मिनोल्टा कलर फोटो प्रिन्टर, एप्सन कलर फोटो प्रिन्टर, कैनन ब्लैक एंड व्हाइट प्रिन्टर, रिको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिन्टर, पिनेकल सॉफ्टवेयर, कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर, लॉजिक्यूब फोरेन्सिक फॉल्कन वर्जन 3-2u3, लॉजिक्यूब फोरेन्सिक फॉल्कन—नियो 2 वर्जन 1.0u3, नीरो वर्जन 27.5.83.0 सॉफ्टवेयर।

पॉलीग्राफ खण्ड

(1) **जाँच की प्रकृतिः–** पोलीग्राफ परीक्षण वैज्ञानिक उपकरण द्वारा किया जाता है। जिसमें परीक्षणार्थी को कोई भी दवा या इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। परीक्षणार्थी के शरीर पर विभिन्न हिस्सों से जुड़े इलेक्ट्रोनिक सेंसर की सहायता से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम) (ANS) की उत्तेजना को मापा जाता है। यह मनोशारीरिक सिद्धांत पर आधारित है जिसमें आपराधिक मामलों में दर्ज परीक्षणार्थी झुठ बोलते समय या कोई जानकारी छुपाते समय उनके शरीर मे परिवर्तन होते है। जिसे इस परीक्षण की सहायता से परीक्षणार्थी झुठ बोल रहा है या सच इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

पॉलीग्राफ मशीन पर परीक्षण कार्य करते हुये वैज्ञानिक

(2) **भौतिक साक्ष्यः–** धोकाधडी, डकैती ,चोरी, आगजनी, हत्या आदि प्रकरणों में संदिग्ध, आरोपी, गवाह, पीड़ित अथवा शिकायतकर्ता द्वारा दिए गये बयान की सत्यता की जाँच।

(3) **उपकरणः–**कम्प्यूटराईज्ड पोलीग्राफ परीक्षण उपकरण (मॉडल Lafayette एल.एक्स. 5000) आदि ।

प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास

प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान वन सेवा, लोक अभियोजक, चिकित्सा अधिकारियों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं विभिन्न राज्यों से आगंतुक अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को न्यायालयिक विज्ञान सम्बंधी व्याख्यान एवं प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान के फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट (एफ.टी.आर.आई.) एवं समस्त प्रयोगशालाओं में वर्ष 2025 में 2171 न्यायाधीश/न्यायिक अधिकारियों/पीपी/एपीपी, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक वैज्ञानिकों एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा देश के विभिन्न संस्थानों व विश्वविद्यालयों में व्याख्यान दिये गये। प्रयोगशाला के अनेक वैज्ञानिकों के शोध पत्र अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के जर्नल में प्रकाशित हुए। प्रयोगशाला के विभिन्न स्तर के वैज्ञानिकों को देश के उच्च वैज्ञानिक संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवा कर आधुनिक विधियों से अद्यतन करवाया जाता है।

इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत फोरेंसिक साईंस के लगभग 552 इन्टर्नस् प्रशिक्षणार्थियों को एफएसएल के विभिन्न खण्डों में प्रशिक्षण दिया गया।

पुलिस के सीन ऑफ काईम ऑफिसर को व्याख्यान देते एफएसएल के वैज्ञानिक।

आरएफएसएल अजमेर द्वारा अनुसंधान अधिकारियों को फारेंसिक विज्ञान की जानकारी।

आरएफएसएल जोधपुर में चिकित्सकों को फारेंसिक विज्ञान की जानकारी देते हुए।

आरएफएसएल कोटा में अनुसंधान अधिकारियों की विधि विज्ञान संबंधी कार्यशाला।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला : अपराध अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण भूमिका

आपराधिक न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तम्भों के रूप में पुलिस एवं न्यायालय के मध्य राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एक अभिन्न एवं संयोजी कड़ी के रूप में कार्यरत है। बहुवैज्ञानिक संस्थान के रूप में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में प्रामाणिक वैज्ञानिक विधियों एवं अत्याधुनिक उपकरणों की सहायता से अपराध सम्बंधी भौतिक सामग्री (आपराधिक प्रादर्शों) का विश्लेषणात्मक परीक्षण किया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 329 के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्ट अपराध में संदिग्ध व्यक्ति की लिप्तता स्थापित करने हेतु साक्ष्य के रूप में मान्य है। 'एक्सपर्ट ओपिनियन' के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली ये रिपोर्ट निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक स्तरीय अधिकारियों के द्वारा जारी की जाती है।

प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले प्रकरण बीएनएस, बीएनएसएस, पोक्सो एक्ट, आर्म्स एक्ट, आई.टी. एक्ट, महिला अशिष्ट निरूपेण एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेटस एक्ट, कॉपीराईट एक्ट,एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, आरपीजीओ एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट, गौवंश संरक्षण एक्ट से सम्बन्धित होते है। फोरेंसिक रिपोर्ट मुख्यतः राज्य की पुलिस एवं न्यायालयों को उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त सी.बी.आई., राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नारकोटिक्स, रसद, आबकारी, रेल्वे, कस्टम, आयकर, वन, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों को भी रिपोर्ट दी जा रही है।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स

प्रयोगशाला में जाँच हेतु विभिन्न प्राधिकृत सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से प्राप्त होने वाले अपराध प्रादर्शों के परीक्षण के अतिरिक्त अन्वेषक संस्थाओं को अन्वेषण की दिशा तय करने के लिए घटना स्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य सामग्री के चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण में वैज्ञानिक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। जिससे अपराध के घटित होने, घटना का समय काल, तरीका एवं अपराधी तक पहुचने में मदद मिलती है।

जटिल अपराधों की गुत्थी सुलझाने के लिए प्रकरण विशेष की आवश्यकतानुसार शोध एवं विकास कार्य भी किये जाते है। ये शोध एवं विकास कार्य विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में जारी शोध कार्यों की अपेक्षा विशिष्ट एवं भिन्न होते हैं। साक्ष्यसामग्री के वैज्ञानिक विधियों से शीघ्र से शीघ्र चिन्हीकरण एवं एकत्रीकरण करने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स कार्यरत है, जो घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचकर जांच अधिकारी को वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने में सहायता देती है। इस कार्य हेतु प्रत्येक यूनिट में फोरेंसिक वैज्ञानिक, वाहन, उपकरण एवं रसायनों की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : चरणबद्ध विकास

1. वर्ष 1959 में राज्य में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना गृह विभाग के आदेशों से पुलिस मुख्यालय में प्रलेख एवं फोटो खण्ड से आरम्भ हुई। 1967 में रसायन, 1970 में जैविक एवं 1973 में भौतिक खण्ड प्रारम्भ हुआ।
2. वर्ष 1970 में प्रयोगशाला में प्रथम तकनीकी निदेशक की नियुक्ति की गई।
3. वर्ष 1974 में प्रयोगशाला भवन का राजस्थान पुलिस अकादमी के समीप नेहरू नगर में पृथक प्रांगण में निर्माण करा प्रयोगशाला उसमें स्थानांतरित की गई।
4. वर्ष 1974 में अस्त्रक्षेप, 1983 में विष एवं 1984 में सीरम खण्डों में परीक्षण आरंभ किया गया।
5. वर्ष 1992 में नारकोटिक्स, आर्सन एण्ड एक्सप्लोसिव तथा लाई–डीटेक्शन खण्डों के स्वीकृति आदेश जारी।
6. वर्ष 1995 में जोधपुर एवं उदयपुर की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्वीकृत एवं 1997 से इनमें परीक्षण कार्य आरंभ।
7. वर्ष 1998 में जोधपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का शिलान्यास एवं निर्माण आरंभ।
8. वर्ष 2004 में डी.एन.ए. फिंगरप्रिंटिंग भवन का निर्माण प्रारंभ, कम्प्यूटर लैब एवं वन्यजीव फोरेंसिक के लिए भवन निर्माण, उदयपुर क्षेत्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं शासन द्वारा 30 जिला चल इकाइयों की स्वीकृति।
9. वर्ष 2005 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में ऑडियो वीडियो ऑथेंटिकेशन तकनीक का कार्य प्रारंभ।
10. वर्ष 2006 में उदयपुर प्रयोगशाला भवन का लोकार्पण, 16 जिला चल इकाइयों की स्थापना, डी.एन.ए. एवं साईबर लैब के लिए पृथक स्टाफ स्वीकृत।
11. वर्ष 2007 में कोटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला में आंशिक स्टाफ स्वीकृति पश्चात कार्य आरंभ, 14 जिला मोबाईल यूनिट्स की स्थापना, 7 मोबाईल यूनिट्स के भवन का निर्माण प्रारंभ।
12. वर्ष 2009 में 4 नवीन जिला मोबाईल यूनिट्स आरंभ।
13. वर्ष 2011 में जयपुर में डी.एन.ए. खण्ड का परीक्षण का कार्य प्रारम्भ।
14. वर्ष 2013 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में रसायन खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
15. वर्ष 2014 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर में विष, जैविक एवं सीरम खण्ड तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर में विष खण्ड ने कार्य करना प्रारंभ किया।
16. वर्ष 2015 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के परिसर में फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के भवन का निर्माण हुआ।
17. वर्ष 2015 में भरतपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला में भौतिक, जैविक, सीरम तथा विष खण्ड प्रारम्भ एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उदयपुर में जैविक खण्ड आरम्भ हुआ।
18. वर्ष 2017 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर मे स्थापित पॉलिग्राफ सेंटर, साईबर फोरेन्सिक खण्ड, फोरेंसिक ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुविधाओं का विस्तार कर अपराधों के वैज्ञानिक अनुसंधान में कौशल विकास का कार्य प्रारम्भ किया गया।
19. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर तथा बीकानेर के नवनिर्मित भवन में कार्य प्रारंभ किया गया।
20. वर्ष 2019 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में जैविक खण्ड ने कार्य प्रारंभ किया।
21. वर्ष 2020 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान की सभी प्रयोगशालाओं में प्राप्त प्रकरणों का डाटा एन्ट्री कार्य आई.सी.जे.एस. अन्तर्गत ई–फोरेन्सिक सॉफ्टवेयर पर प्रारभ्भ किया गया।
22. वर्ष 2021 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर में डी.एन.ए. खण्ड प्रारभ्भ हुआ।
23. वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा क्षे.वि.वि.प्र. भरतपुर के भवन निर्माण हेतु आवंटित 5000 वर्ग मीटर जमीन पर भवन निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।
24. वर्ष 2023 में क्षैत्रीय प्रयोगशाला अजमेर में डी.एन.ए. खण्ड का परीक्षण कार्य प्रारम्भ।
25. वर्ष 2024 में मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर में साईबर खण्ड के नवीन भवन तथा डी.एन.ए. खण्ड के विस्तार भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ।
26. वर्ष 2025 में क्षत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर में डी.एन.ए. व रसायन खण्ड व

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा में रसायन खण्ड प्रारम्भ किये गये।

27. वर्ष 2025 में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला कोटा, बीकानेर व अजमेर में नारकोटिक्स प्रकरणों का परीक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया।
28. राज्य की मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के सुदृढिकरण के अन्तर्गत 56 नवीन अतिआधुनिक मोबाईल फोरेंसिक यूनिट वाहनों का क्रय कर माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभारंभ करवाकर जिलों को आवंटित किया गया।

संगठनात्मक चार्ट–परीदृश्य

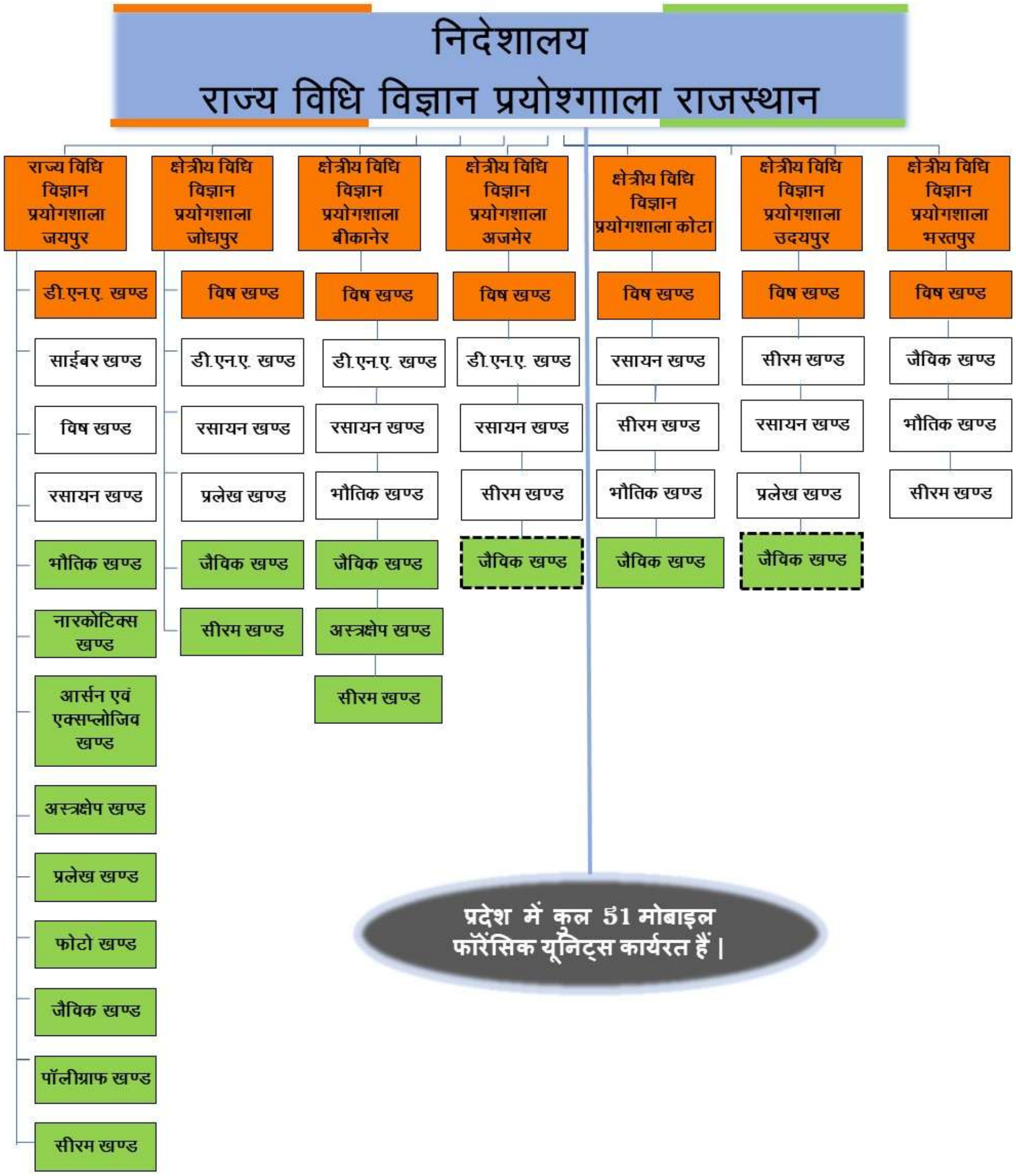

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला का संगठनात्मक स्वरूप

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण (31–12–2025 की स्थिति में)

राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला की मुख्य प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं एवम् जिला मोबाईल फोरेंसिक यूनिट्स के लिए स्वीकृत, वर्तमान नफरी और रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

कैडरवाईज स्थिति

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	तकनीकी अधिकारी	187	91	96
2.	तकनीकी कर्मचारी	452	183	269
	कुल योग	**639**	**274**	**365**

वैज्ञानिक एवं तकनीकी संवर्ग

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	निदेशक	01	01	00
2.	अतिरिक्त निदेशक	07	06	01
3.	उप निदेशक	11	08	03
4.	सहायक निदेशक	51	36	15
5.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	117	40	77
6.	वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	85	40	45
7.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	134	74	60
8.	तकनीकी सहायक	01	00	01
9.	प्रयोगशाला सहायक	125	38	87
10.	कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	107	31	76
	कुल योग	**639**	**274**	**365**

मंत्रालयिक, लेखा संवर्ग एवं अन्य

क्रम सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान नफरी	रिक्त पद
1.	लेखाधिकारी	01	01	00
2.	सहायक लेखाधिकारी–I	01	01	00
3.	सहायक लेखाधिकारी–II	01	02	+01
4.	कनिष्ठ लेखाकार	07	06	01
5.	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	00
6.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	02	02	00
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	05	05	00
8.	निजी सहायक–I	01	00	01
9.	निजी सहायक–II	02	02	00
10.	सूचना सहायक	10	07	03
11.	वरिष्ठ सहायक	08+01*	07	02
12.	कनिष्ठ सहायक	14	12	02
13.	दफ्तरी	01	01	00
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मय प्रयोगशाला कर्मचारी	29	22	07
15.	स्वीपर मय विसरा कटर	07	05	02
16.	कानि0 ड्राईवर	14	13	01
17.	चालक	03	00	03
	कुल योग	**108**	**87**	**21**

* छाया पद।

नियमित बजट एवं आधुनिकीकरण योजना अन्तर्गत राशि

(31–12–2025 की स्थिति में)

(अ) वर्ष 2025–26 बजट आवंटन एवं व्यय (आयोजना भिन्न राशि रूपये लाखों में)

क्र.सं.	शीर्षक	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	संवेतन (01)	3630.00	3530.00	2889.17	640.83
2.	यात्रा व्यय (03)	20.00	18.00	11.80	6.20
3.	चिकित्सा व्यय (04)	0.01	0.01	0.01	00
4.	कार्यालय व्यय (05)	50.00	50.00	31.34	18.66
5.	वाहन क्रय (06)	0.01	0.01	0.01	00
6.	वाहनों का संचालन एवं संधारण (07)	54.00	25.00	5.61	19.39
7.	किराया, रेट और कर/रोयल्टी (09)	7.55	15.09	7.51	7.58
8.	लघु निर्माण कार्य (16)	10.00	00	00	00
9.	मशीनरी और साजो सामान/औजार एवं संयंत्र नवीन उपकरण व्यय (18)	1800.00	4850.00	1757.01	3092.99
10.	विद्युत व्यय (19)	72.00	80.00	52.51	27.49
11.	अनुरक्षण एवं मरम्मत व्यय (21)	200.00	250.00	85.35	164.65
12.	प्रशिक्षण (29)	2.00	2.00	0.37	1.63
13.	वाहन किराया (36)	15.40	0.01	00	0.01
14.	वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं व्यय (37)	1.60	1.60	1.50	0.10
15.	संविदा तथा अन्य सुविधाएं व्यय (41)	140.00	135.00	90.94	44.06
16.	कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय (62)	17.40	0.01	00	0.01
	कुल योग	**6019.97**	**8956.73**	**4933.13**	**4023.60**

(ब) वर्ष 2025–26 आयोजना बजट मद (राशि रूपये लाखों में)

क्र. सं.	मद का नाम	अनुमानित बजट राशि	संशोधित बजट राशि	व्यय राशि	शेष राशि
1.	बृहद निर्माण कार्य (17)(100% राज्य अंश)	1260.74	1063.71	23.83	1039.88
2.	मशीनीकरण और साज सामान/औजार एवं संयंत्र (18) (नवीन उपकरण) पुलिस आधुनिकीकरण योजना (60% केन्द्रीय अंश एवं 40% राज्य अंश)	120.00	120.00	108.00	12.00
3.	मशीनीकरण और साज सामान/औजार एवं संयंत्र (18) (नवीन उपकरण)(100% राज्य अंश)	250.00	3405.95	00	3405.95
4.	नाकोड योजना (18)(100% केन्द्रीय अंश)	107.22	107.22	00	107.22
5.	मैन पावर सेवा (41))(100% राज्य अंश)	766.44	792.12	516.38	275.74
	योग	**2504.40**	**5489.00**	**648.21**	**4840.79**

प्रकरण सांख्यिकी (Case Statistics)

State Forensic Science Laboratory Rajasthan
Case Statistics from 01-01-2025 to 31-12-2025

(i) Statement showing Year–wise position of Received, Disposal and Pending Cases

S. NO.	YEAR	PENDENCY AS ON 1st JANUARY	RECEIVED CASES DURING THE YEAR	TOTALN0. OF CASES	EXAMINED CASES DURING THE YEAR	PENDENCY AS ON 31st December
1.	2021	15740	45864	61604	42078	19526
2.	2022	19526	49933	69459	42039	27266
3.	2023	27266	56294	83560	44553	39007
4.	2024	39007	48681	87688	50839	36919
5.	2025	36919	32964*	69883	32606	37277

* In year 2025, liquor cases get received and examined by excise laboratory.

(ii) Statement showing position of Received, Disposal and Pending Cases for SFSL and RFSLs.

S. NO.	FORENSIC SCIENCE LABORATORIES	PENDING CASES ON 01-01-2025	RECEIVED CASES IN 2025	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASESON 31-12-2025
					CASES	EXHIBITS	
1.	State FSL Jaipur	27394	15404	42798	15105	171403	27693
2.	RFSL Jodhpur	2748	4999	7747	5114	63874	2633
3.	RFSL Udaipur	2528	2548	5076	2641	21002	2435
4.	RFSL Kota	1214	2295	3509	2551	10668	958
5.	RFSL Bikaner	1530	2881	4411	2483	12216	1928
6.	RFSL Ajmer	1348	3896	5244	3760	20749	1484
7.	RFSL Bharatpur	157	941	1098	952	5111	146
	Grand Total :	**36919**	**32964**	**69883**	**32606**	**305023**	**37277**

(iii) Total number of Crime Scenes visited in the Rajasthan under new criminal laws:- 8000

(iv) Statement showing Received, Disposal and position of Pending cases of State Forensic Science Laboratory, Rajasthan:-

S.NO.	NAME OF DIVISION	PENDING CASES ON 01-01-2025	RECEIVED CASES IN 2025	TOTAL CASES	EXAMINED CASES		PENDING CASES ON 31-12-2025
					CASES	EXHIBITS	
1.	Documents Division	310	1170	1480	1386	116484	94
2.	Chemistry Division	449	271	720	684	1581	36
3.	Arson & Explosive	472	375	847	340	965	507
4.	Narcotics Division	2615	6275	8890	5979	18752	2911
5.	Biology Division	79	887	966	884	2194	82
6.	Physics Division	667	1409	2076	1339	3472	737
7.	Polygraph Division	03	18	21	21	61	00
8.	Cyber Division	4871	1664	6535	424	2849	6111
9.	Ballistics Division	90	374	464	379	3726	85
10.	Toxicology Division	5600	10606	16206	9908	62060	6298
11.	Serology Division	379	1630	2009	1444	6114	565
12.	DNA Division	21201	7949	29150	9501	78912	19649
13.	Photo Division	183	336	519	317	7853	202
	Total	**36919**	**32964**	**69883**	**32606**	**305023**	**37277**

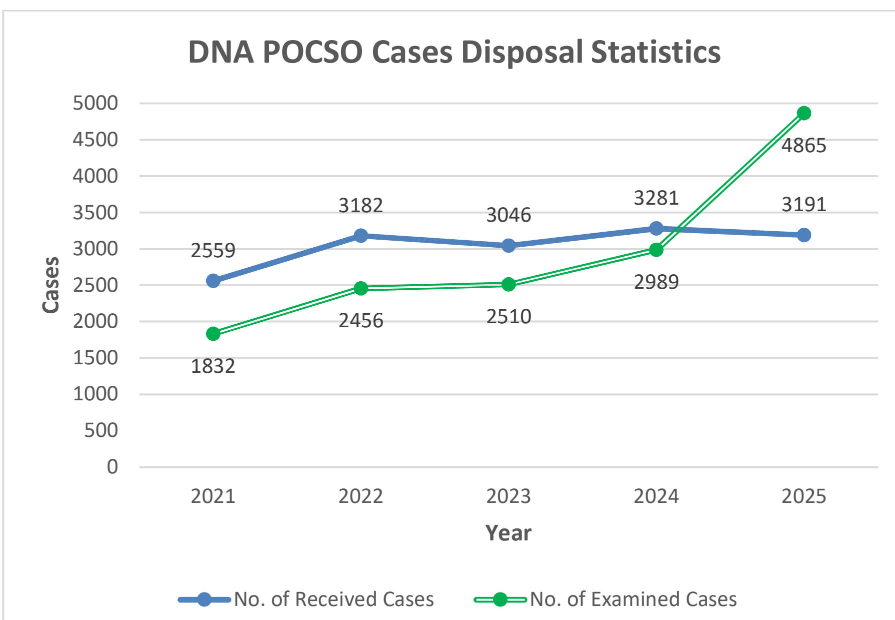

एफ.एस.एल. में परीक्षण किये गये महत्त्वपूर्ण प्रकरण

साईबर फोरेन्सिक प्रकरण :–

1. **बहुचर्चित आतंकवादी मॉड्यूल से जुड़े मौलवी की गिरफ्तारी से संबंधित प्रकरण** :–
   प्रकरण संख्या– 55/2025, धाराः– 18, 20, 38, 39 विधि विरूध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, थाना– स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, राजस्थान, जयपुर से संबंधित प्रकरण में आरोपी मौलाना से जब्त मोबाईल फोन से विभिन्न सॉशल मिडिया एप्लीकेशन द्वारा आतंकवादी संगठनों जुड़े होने, युवाओं के ब्रेनवॉश से संबंधित ऑडियों फाईलें, विदेशी नम्बरों से सॉशल मिडिया एप्लीकेशन एक्सेस करने, आतंकवादी संगठनों से संबंधित पिक्चर फाईलें तथा विडियों फाइलें, प्रकरण से संबंधित डिलिटेड चैट रिकवरी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध करवाये गये जिससे आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
2. **महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण में डीवीआर लॉग एनालीसिस** :–
   प्रकरण संख्या– 247/2023, धाराः– 354 आईपीसी, थाना– मालवीय नगर, जिला– जयपुर (पूर्व) से संबंधित प्रकरण में आरोपी के घर से जब्त डीवीआर के लॉग एनालीसिस की जाकर महिला से छेड़छाड़ घटना के वक्त डीवीआर की सीसीटीवी फुटेज डिलिट ना की जाकर आरोपी द्वारा जानबूझकर बंद करने संबंधित राय प्रदान की गई जिससे प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान मिला।
3. **एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण में नारकोटिक्स अधिकारी की संदिग्ध भूमिका संबंधी प्रकरण** :–
   प्रकरण संख्या– 86/2023, धाराः– 8/15 एनडीपीएस एक्ट, थाना– कपासन, जिला– चितौड़गढ़ से संबंधित प्रकरण में नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी द्वारा मौके पर न जाकर सरकारी वाहन के चालक द्वारा डोडा की फसल के नष्टीकरण के फोटो जीपीएस कैमरा लाईट एप्लीकेशन के माध्यम से खिंचवाकर स्वयं के वाट्सएप एप्लीकेशन पर मंगवाया गये। बाद में डोडा की फसल को पुलिस द्वारा जब्त करने पर फर्जी फोटो पाये जाने संबंधी प्रकरण में नारकोटिक्स विभाग के आरोपी सरकारी वाहन चालक तथा नारकोटिक्स अधिकारी के फोन से प्रकरण से संबंधित फोटोग्राफ तथा प्रकरण से संबंधित जीपीएस कैमरा लाईट व वाट्सएप एप्लीकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।
4. **बच्चे की हत्या से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन महत्वपूर्ण प्रकरण** :–
   प्रकरण संख्या– 165/2024, धारा :– 302, 363, 201 भादस व 3 एससी/एसटी एक्ट, थाना– विज्ञान नगर, जिला– कोटा शहर से संबंधित प्रकरण में बच्चे की मां द्वारा पुरूष मित्र के पास बच्चे के छोड़कर जाने पश्चात् अचानक बच्चे की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाये जाने जहां उसे मृत घोषित करने संबंधित प्रकरण में आरोपी की दुकान से जब्त डीवीआर एवं कम्पयूटर से घटना से संबंधित सीसीटीवी फूटेज रिकवर किये जाकर यह प्रमाणित किया गया कि आरोपी द्वारा जानबूझकर बच्चे की पीट पीटकर हत्या की गई थी। उक्त प्रकरण की सीसीटीवी फुटेज में आरोपी के चेहरे के मिलान संबंधित राय प्रदान की जाकर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।
5. **भारतीय हाईकमीशन लंदन के बाहर तथाकथित खालिस्तानी समर्थकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान संबंधी प्रकरण** :–
   प्रकरण संख्या आरसी– 05/2023/NIA/DLI, धारा :– 109, 147, 148, 149, 120बी, 448, 452 व 325 भादस, 13 यूए(पी) एक्ट. 1967, 3(1) लोक संपती नुकसान निवारण अधिनियम 1984 एवं 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, एनआईए नई दिल्ली से संबंधित प्रकरण में भारतीय हाईकमीशन लंदन से जब्त सीसीटीवी फूटेज व मोबाईल से रिकोर्डेड विडियो में भारतीय हाईकमीशन लंदन स्थित भवन के उपर फहरा रहे तिरंगे को तथाकथित खालिस्तानी समर्थक भीड़ द्वारा भवन पर चढकर नीचे गिराने तथा अपमान करते हुये दिखाई दे रहे थे। इस प्रकरण में साईबर खण्ड द्वारा में प्राप्त मूल तिरंगे झंडे से विडियो में दिख रहे तिरंगे झंडे का मिलान कर प्रकरण में महत्वपूर्ण राय प्रदान की गई।
6. **बहुचर्चित जेलप्रहरी भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण** :–
   पुलिस थाना–एसपीएस, एटीएस एण्ड एसओजी – जयपुर से सम्बंधित प्रकरण संख्या 19/2018 धारा 420, 120 बी आई.पी.सी. व धारा 43/66, 72 आईटी एक्ट के अन्तर्गत परीक्षा से पूर्व

अनुचित तरीके से पेपर की उत्तरकुंजी प्राप्त कर उसकी नकल करा परीक्षा दिलाने संबन्धित प्रकरण में संगठित गिरोह के आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनों से उक्त प्रकरण से संबन्धित प्रश्नपत्र की उत्तरकुंजी, सोशल मिडिया एप्लीकेशन के माध्यम से भेजे जाने संबंधित चैट मैसेज आदि उपलब्ध करवाकर प्रकरण महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये।

7. <u>बहुचर्चित नाबालिग स्कूली बालिकाओं को बहला फुसला कर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने संबंधित प्रकरण</u> :—
पुलिस थाना—विजय नगर, जिला— ब्यावर से संबंधित प्रकरण संख्या 61/2025 धारा 75(2), 78(2), 353(1)(ग), 64(1) बीएनएस 2023 तथा 3/4, 7/8, 15, 11/12 पोक्सो एक्ट व 3(1)()(प), 3(2)(अ) एससी एसटी एक्ट के अर्न्तगत स्कूली नाबालिग लडकियों को बहला फुसला कर उनके फोटो एवं विडियों बनाकर ब्लैकमेल कर जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनों से प्रकरण से संबंधित नाबालिग बालिकाओं की पिक्चर/विडियो आदि रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

8. <u>बहुचर्चित मानव अंग प्रत्यारोपण से संबंधित प्रकरण</u> :—
प्रकरण संख्या— 54/2024, 7, 8, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 420, 467, 468 व 120बी आईपीसी, एसीबी जयपुर के बहुचर्चित मानव अंग प्रत्यारोपण संबंधित प्रकरण में आरोपी डॉक्टर से जब्त मोबाईल फोन से संदिग्ध मोबाईल नम्बरों पर आपस में किये गये वॉट्सऐप चैट, वॉट्सऐप पर भेजे गये मरिजों की डिटेल्स, पैसों के हिसाब संबंधित दस्तावेज, पैमेंट स्क्रीनशॉट आदि के साक्ष्य रिकवर/उपलब्ध करवाकर प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रदान किये गये।

9. <u>बहुचर्चित लैंगिक हमला/बलात्कार से संबंधित प्रकरण में आरोपी को विशेष कोर्ट ने 20 साल की सजा</u> :—
प्रकरण संख्या — 13/2022, धाराः 376 आई.पी.सी. एवं 67 ए आई.टी. एक्ट थाना— चन्दवाजी, जिला— जयपुर ग्रामीण, बहुचर्चित लैंगिक हमला/बलात्कार प्रकरण में आरोपी तथा पीड़िता के पति से जब्त मोबाईल फोनों से नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने और उसकी शादी के बाद पति को जान से मारने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाने एवं आपस में अश्लील फोटोग्राफ व विडियो रिकार्डिग शेयर करने आदि से संबंधित साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

10. <u>बहुचर्चित हत्या से संबंधित प्रकरण में</u> :—
प्रकरण संख्या — 458/2023, धाराः 147, 148, 149, 302, 341, 427, 120 बी आई.पी.सी. थाना— रतनगढ़, जिला— चुरू, बहुचर्चित प्रकरण हत्या से संबंधित प्रकरण में त्वरित प्रभाव से साइबर खण्ड द्वारा प्रकरण में आरोपियों से जब्त मोबाईल फोनों से हत्या से संबंधित फोटोग्राफ व विडियो रिकार्डिग आदि से संबंधित साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

11. <u>नाबालिग पिडिता के दुष्कर्म से संबंधित प्रकरण में बयानों से पलटने के बावजुद डिजिटल साक्ष्य के आधार पर दोषी को दस साल कि सजा</u> :—
प्रकरण संख्या — 388/22, धाराः 376(2)(N) आई.पी.सी., 3/4, 5/6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पोक्सो एक्ट एवं 67बी आई.टी. एक्ट थाना— मालवीय नगर, जिला— जयपुर शहर (पूर्व) प्रकरण में मुलजिम से जब्त मोबाईल फोन से नाबालिग पीडिता के साथ बलात्कार कर अश्लील फोटोग्राफ व विडीयो बनाकर ब्लैकमेल करने एवं वायरल करने से संबंधित पीडिता के अश्लील फोटोग्राफ व विडियो रिकोर्डिग आदि साक्ष्य रिकवर कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया।

<u>डी.एन.ए. एवं जैविक प्रकरण</u> :—

1. <u>एफ.एस.एल. ने पहली बार माइटोकॉण्ड्रियल डीएनए तकनीक का प्रयोग कर किडनी रैकेट का किया भण्डाफोड</u> :—
पुलिस थाना जवाहर सर्किल, जयपुर पूर्व में प्रकरण संख्या 319/24 में फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर किडनी रैकेट से जुडा प्रकरण दर्ज हुआ। उक्त प्रकरण में मामा भान्जा के जैविक संबंध को दर्शाते हुए दस्तावेज प्रस्तुत कर किडनी का सौदा का अंग प्रत्यारोपण किया गया। शिकायत हुई कि किडनी दान करने वाला एवं प्राप्त करने वाला आपस में मामा भान्जा नहीं है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी है। इस बाबत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। पारम्परिक डीएनए तकनीक से मामा भान्जा का जैविक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता था। प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए राजस्थान एफएसएल के डीएनए वैज्ञानिकों ने

पहली बार परम्परागत डीएनए परीक्षण से हटकर माइटोकॉण्ड्रियल डीएनए सिक्वेसिंग तकनीक का उपयोग करते हुए इस किडनी रैकेट के प्रकरण में किडनी दान करने वाला एवं प्राप्त करने वाला आपस में मामा भान्जा नही हैं, साबित किया।

2. **जैसलमेर बस दुखान्तिका प्रकरण** :–
एफआईआर न. 98/25 दिनांक 15.10.2025 पुलिस थाना सदर जिला–जैसलमेर में एसी स्लीपर बस में आग लगने से 21 व्यक्तियों की जलने से मौत हो गयी। आग का मंजर इतना भयावह एवं व्यापक था कि जले हुये शवों की पहचान करना अत्यन्त ही कठिन हो रहा था। घटना की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये जले हुये शवों की डीएनए तकनीक से पहचान स्थापित करने के लिये एफएसएल के डीएनए वैज्ञानिकों की टीम का गठन किया गया। टीम ने लगातार 18 घटें काम करके सभी मृतकों की पहचान स्थापित करने का कीर्तिमान स्थापित किया। इस प्रकार जले हुये सेम्पलों से मात्र 24 घटें में सभी मृतकों की पहचान स्थापित करना देश में एक उदाहरण है।

3. **फोरेंसिक DNA प्रोफाइलिंग ने दिया मातृत्व और पितृत्व का पक्का वैज्ञानिक सबूत** :–
परिवाद दिनांक 03.12.2025, पुलिस थाना– शास्त्री नगर, जोधपुर पश्चिम के प्रकरण में MDM (माथुरदास माथुर) अस्पताल में हाल ही में बच्चे बदलने की घटना में दोनों शिशुओं और उनके माता–पिता के खून के सैंपल लिए गए और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए, जहाँ DNA प्रोफाइल बनाए गए और उनकी तुलना की गई। FSL रिपोर्ट में बच्ची का DNA पीपाड़ के एक जोड़े से मिला और लड़के का DNA खरड़ा रणधीर के दूसरे जोड़े से मिला, जिससे वैज्ञानिक रूप से हर बच्चे के बायोलॉजिकल माता–पिता का पता चला।

4. **एक्सीडेंट की घटना में जले हुऐ अवशेषों के डीएनए से हुई मृतकों की पहचान** :–
पुलिस थाना– सिणधरी, जिला– बालोतरा के प्रकरण संख्या– 191/2025 के अंतर्गत ट्रक से टक्कर के बाद कार में आग लगने से चार लोग जिंदा जल गए। दिनांक 17.10.2025 को गुदामलानी गांव के पांच युवक सिणधरी में काम खत्म करके घर लौट रहे थे तभी उनकी कार सामने से आ रहे एक ट्रेलर से टकरा गई। उनमें से चार जिंदा जल गए शारीरिक रूप से उनकी पहचान करना मुश्किल था। बचाव कार्य के दौरान जले हुए शव आपस में बदल गए थे। नमूने जमा करने के बाद डीएनए रिपोर्ट रिकॉर्ड समय में मात्र 8 घंटे में तैयार की गई और मृत शरीरों के परिजनों से मिलान करके डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए उनकी पहचान की गई।

5. **DNA परीक्षण ने दी अन्जान चेहरो को पारिवारिक पहचान** :–
प्रकरण संख्या– 462/24, धारा 281, 106(1), 125(ए), 125(बी) बीएनएस, थाना भांकरोटा जयपुर (पश्चिम) में दिनांक 20.12.2024 को सुबह 5:40 पर DPS कट अजमेर रोड़ भांकरोटा के समीप हुई हृदय विदारक घटना, जिससे गैस टैंकर से हुए ब्लास्ट में आसपास खड़े वाहन, चलते वाहन, यात्री आदि चपेट में आ गये। इस भीषण अग्निकांड में 20 व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गयी व 5 व्यक्ति इस अंग्निकांड में पूर्णतः जलकर अपनी पहचान खो चुके थे।
डीएनए खण्ड ने लगातार अथक प्रयास करते हुए परीक्षण से स्पष्ट किया की इनमें से शव केवल 4 व्यक्तियों के ही थे, एक शव के दो टुकड़े हो जाने के कारण पुलिस उन्हें दो शव मान रही थी। वैज्ञानिकों ने 24 घण्टे से भी कम समय में 4 अनजान चेहरों का उनके परीजनों के कन्ट्रोल रक्त सैम्पल से मिलान करके पहचान देने का कार्य करते हुये परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की।

6. **गला घोंटते समय मृतका के हाथ में मिले आरोपी के बाल बने अहम सबूत** :–
महिला से बलात्कार और उसकी नृशंस हत्या के पांच साल पुराने मामले में हत्या करते समय संघर्ष के दौरान मृतका के हाथ में आए आरोपी के सिर के बाल उसे जेल पंहुचाने के लिए अहम सबूत बन गए। कोटा के एससी/एसटी विशिष्ट न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर उसे दोषी माना।
मामले में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर मृतका के हाथ में मिले दो बाल आरोपी को सजा दिलाने में अहम सबूत बन गए। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

7. **पीड़िता मुकरी, डीएनए रिपोर्ट ने दिला दी दुष्कर्मी पिता को सजा** :–
पाली शहर में 14 साल की बेटी से 2 महीने में दो बार दुष्कर्म कर गर्भवती करने के एक साल पुराने मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पिता को

गिरफ्तार कर लिया तथा गर्भपात के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और हाईकोर्ट से इजाजत के बाद पीड़िता का गर्भपात कराया। पुलिस ने पीड़िता व आरोपी की डीएनए सैंपल लेकर जांच कराई डीएनए रिपोर्ट को अहम साक्ष्य मान कोर्ट ने सजा सुनाई।

8. <u>एनकाउंटर में मारे गए पैंथर की डीएनए रिपोर्ट द्वारा आदमखोर होने की पुष्टि</u> :—
   राजस्थान के उदयपुर जिले में आदमखोर पैंथर के एनकाउंटर करने के मामले में जहां आशंका जताई ता रही थी कि जिसे मारा गया, वहीं आदमखोर था या नहीं? इसकी तकनीकी पुष्टि डीएनए अनुभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट से कि गयी। संदिग्ध मृत आदमखोर पैंथर के मुंह व पंजों से सैंपल लिये जा कर राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में डीएनए परीक्षण हेतु भिजवाये गये थे। मृत पैंथर के भेजे गये सभी नमूनों में रक्त की उपस्थिति पाई जिन पर द्रुत गति से डीएनए परीक्षण किया गया।

   डीएनए रिपोर्ट में पैंथर से लिये गये सैंपल्स पर मानव डीएनए के अवशेष पाये गये जिससे एनकाउंटर में मारे गये पैंथर की आदमखोर पैंथर के रूप में पुष्टि हुई।

<u>विष प्रकरण</u> :—

1. <u>युवती की संदिग्ध मृत्यु में जहर की उपस्थिति</u> :—
   मुकदमा नम्बर — 584/2024, पुलिस थाना — मुण्डावर, जिला — खैरथल तिजारा, में 17 वर्षीय युवती की सिर में चोट से मृत्यु के प्रकरण में प्राप्त विसरा प्रादर्शों के रासायनिक परीक्षणोपरान्त एल्युमिनियम फास्फॉईड जहर की उपस्थिति पायी गयी, जिसने अनुसंधान में सहायता प्रदान की।
2. <u>घर में लूटपाट — चोरी सम्बन्धी प्रकरण में नशीली दवा के प्रयोग की पुष्टि</u> :—
   मुकदमा नम्बर — 115/2025, पुलिस थाना — सदर, जिला — अलवर के अन्तर्गत घर में रात्रि के समय गहरी नींद में सोने पर लूटपाट एवं चोरी की घटना के प्रकरण में प्राप्त ब्लड एवं यूरिन प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षणोपरान्त Benzodiazepine tranquillizing drug (Chlordiazepoxide) की उपस्थिति पायी गई जिसने अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
3. <u>महिला की मारपीट एवं गला दबाने से दम घुटने से मृत्यु के संदिग्ध प्रकरण में जहर की पुष्टि</u> :—
   मुकदमा नम्बर — 27/2025, पुलिस थाना — रामगढ़पचवारा, जिला — दौसा में महिला की मारपीट व गला दबाने के संदिग्ध प्रकरण में विष अनुभाग में प्राप्त प्रादर्शों में रासायनिक परीक्षणोपरान्त एल्यूमीनियम फास्फॉईड जहर की उपस्थिति पायी गयी, जिसने अनुसंधान को एक नयी दिशा प्रदान की।
4. <u>युवती की दुर्घटना में मौत के मामले में जहर की पुष्टि</u> :—
   मुकदमा नम्बर — 115/2025, पुलिस थाना — कोतवाली, जिला — दौसा के प्रकरण में युवती की मृत्यु दुर्घटना में आई चोटों से होना बताया परन्तु मृतका के परिजनों ने इसमें युवती की हत्या को दुर्घटना का रूप देने का संदेह जताया। प्रकरण में प्राप्त प्रादर्शों को विष खण्ड में रासायनिक परीक्षणोपरान्त एल्युमिनियम फोस्फॉइड जहर की उपस्थिति पाई गई। प्रकरण की रिपोर्ट उपरान्त पुलिस द्वारा मुल्जिम की निशानदेही पर एक कपड़े में सेल्फॉस की गोलियाँ (जिनमें से एक गोली पीस कर मृतका को दिया जाना कबूल किया गया) को बरामद कर जहर पुष्टि हेतु भेजा गया जिसमें एल्युमिनियम फोस्फॉइड की उपस्थिति एवं प्रकरण की पूर्व में भेजी विसरा रिपोर्ट से जहर का मिलान हुआ। जिसने अनुसंधान को एक नयी दिशा प्रदान की।
5. <u>मारपीट कर हत्या के आरोप प्रकरण में जहर की पुष्टि</u> :—
   मुकदमा सं. 148 दिनांक 06.06.2025 धारा 85, 115(2), 108, 3(5) बीएनएस. पुलिस थाना— तारानगर, जिला— चुरू में मृतका के पीहर वालों ने ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या का मुकदमा दर्ज करवाकर ससुराल वालों की गिरफ्तारी व सजा के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाये गये । प्रयोगशाला में प्राप्त विसरा अवयवों का परीक्षण करने पर आर्गेनोफॉस्फोरस किटनाशक की उपस्थिति पाई गई, जिससे मृतका की मौत का सही कारण पता चल सका व अनुसंधान को नई दिशा मिली।
6. <u>आत्महत्या के प्रकरण में जहर की पुष्टि</u> :—
   मुकदमा सं. 06 दिनांक 09.05.2025 धारा 194 बी.एन.एस.एस. पुलिस थाना— सदर, जिला — पाली में मृतक द्वारा केडिट कार्ड व लोन की ईएमआई से परेशान होकर आत्महत्या करना बताया, जिसमें प्रकरण से संबधित विसरा सेम्पलों का परीक्षण करने पर एल्युमिनियम फास्फाईड जहर की उपस्थिति पाई गई। जिससे आत्महत्या का सही कारण पता चल सका।

7. <u>मारपीट के आरोप प्रकरण में जहर की पुष्टि</u> :— मुकदमा संख्या 06, दिनांक 15.04.2025, धारा 194 बी.एन.एस. थाना—रेवदर जिला— सिरोही में मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर शराब पीकर रोज मारपीट करने व धक्का मुक्की करके मृत्यु कारित करने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कोई घातक चोट नहीं मिली। प्रयोगशाला में प्राप्त विसरा सेम्पलों का परीक्षण करने पर एल्युमिनियम फास्फाईड जहर की उपस्थिति पाई गई। जिससे अनुसंधान को दिशा मिल सकी व मर्ग में आत्महत्या करना साबित हुआ।
8. <u>आकस्मिक मृत्यु प्रकरण में जहर की पुष्टि</u> :— मुकदमा संख्या 10, दिनांक 21.05.2025, धारा 196 बी.एन.एस, पुलिस थाना—सोजतसिटी, जिला— पाली में मृतका की शादी के 6 दिन बाद ही मौत हो गई थी। मृतका के ससुराल वालों ने मृतका की अचानक तबीयत खराब होना बताया। मृतका के प्रयोगशाला में प्राप्त विसरा अवयवों का परीक्षण करने पर आर्गेनोफॉस्फोरस किटनाशक की उपस्थिति पाई गई। जिससे अनुसंधान को नयी दिशा मिली।
9. <u>दहेजहत्या प्रकरण में ड्रग ओवरडोज की पुष्टि</u> :— मुकदमा सं. 183 दिनांक 23.10.2025 धारा 85, 115(2), 123, 80(2) बी. एन.एस, पुलिस थाना—महिला पूर्व, जिला— जोधपुर पूर्व में ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग तथा पति द्वारा शराब पीकर मारपीट के प्रकरण में प्राप्त विसरा अवयवों में परीक्षण करने पर एमीट्रीप्टीलीन नामक एन्टी—डिप्रेसेन्ट दवाई की उपस्थिति पाई गई, जिससे प्रकरण में मृत्यु का कारण मारपीट न होकर ड्रग ऑवर डोज होना साबित हुआ।
10. <u>फेक्ट्री मजदूर के मृत्यु प्रकरण में नाईट्राईट आयन की पुष्टि</u> :— मुकदमा सं. 241 दिनांक 28.04.2025 धारा 106(1) बी. एन.एस, पुलिस थाना—कोतवाली, जिला— पाली में फेक्ट्री में कार्यरत कर्मी की मृत्यु में प्राप्त प्रकरण के विसरा अवयवों में नाईट्राईट आयन की उपस्थिति पाई गई। जिससे फेक्ट्री में काम आने वाले रसायन से ही दुर्घटना से मृत्यु होना साबित हुआ।
11. <u>सीआईडी अधिकारी की हत्या संबंधी प्रकरण में एफएसएल रिपोर्ट बनी सजा का आधार</u> :— सीआईडी अधिकारी की हत्या के मामले में केस एफआईआर संख्या 69/2018, धारा 302, 364, 201, 120बी आईपीसी, 3—2 (ट) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, थाना झालावाड़, शहर कोटा की एफएसएल रिपोर्ट में **केटामाइन** की जाँच, विश्लेषण और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। केटामाइन एनेस्थेटिक की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और दो अन्य आरोपियों को लम्बी अवधि के कारावास का आदेश दिया। यह मामला विश्लेषण की दुर्लभ श्रेणी में आता है।

<u>प्रलेख प्रकरण</u> :—

1. <u>विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यार्थियों के हस्ताक्षर व लिखावट के परीक्षण से संबंधित प्रकरण</u> :— विभिन्न पुलिस अधीक्षकों/उपायुक्त, पुलिस मुख्यालय, एसओजी राजस्थान, सीबीआई व अन्य जांच ऐजेन्सियों में दर्ज विभिन्न भर्ती परीक्षाओं जैसे— सब इन्सपेक्टर भर्ती परीक्षा 2021, शारीरिक शिक्षक भर्ती, स्कूल व्याख्याता भर्ती, पटवारी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, अध्यापक भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती, कान्सटेबल भर्ती, रेल्वे भर्ती आदि परीक्षाओं के पेपर लीक, डमी अभ्यार्थियों से सम्बन्धित प्रकरणों के दस्तावेजों में हस्ताक्षर व लिखावट के सम्बन्ध में वर्ष में प्रलेख अनुभाग द्वारा प्रकरणों का प्राथमिकता पर परीक्षण किया गया व इनका त्वरित निस्तारण कर परीक्षण रिपोर्ट विभिन्न पुलिस अधीक्षकों/उपायुक्त, पुलिस मुख्यालय, एसओजी राजस्थान, सीबीआई व अन्य जांच ऐजेन्सियों को प्रेषित की गई।
2. <u>प्रसूता की गलत ब्लड ट्रान्सफयूजन के कारण हुई मृत्यू में ब्लड वायल पर लिखावट के परीक्षण संबंधित प्रकरण</u> :— सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में प्रसूता की गलत ब्लड ट्रान्सफयूजन के कारण हुई मृत्यू की जांच प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच के लिए वॉयल पर लिखी गई विवादित लिखावट परीक्षण हेतु प्राप्त हुई। ब्लड वॉयल पर अंकित लिखावट का परीक्षण कर अनुसंधान हेतु महत्वपूर्ण राय प्रदान की गयी।
3. <u>जाली करेन्सी नोटों से संबंधित प्रकरण</u> :— (i) थाना—बगरू, जिला जयपुर (पश्चिम) के प्रकरण सं. 314/2024 में रू. 500/—की 3842 भारतीय मुद्रा व रू. 500/—की 3794 भारतीय मुद्रा शीट्स (ii) थाना—झोटवाडा, जिला जयपुर (पश्चिम) के प्रकरण सं. 118/2025 में रू.

500/–की 434 भारतीय मुद्रा व रू. 200/–की 07 भारतीय मुद्रा का परीक्षण कर इनके नकली/फर्जी होने के संबंध में महत्तवपूर्ण राय प्रदान की गई ।

4. <u>चैक पर अंकित राशि में फेरबदल का परीक्षण</u> :–
मननीय न्यायालय. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, एनआईएक्ट प्रकरण, क्रम संख्या. 06 जयपुर महानगर द्वितीय के प्रकरण संख्या– 5845/2018 में एक विवादित चैक प्राप्त हुआ। इस चैक पर पूर्व में अंकित राशि में कांटछांट कर परिवर्तन किया गया था। प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरण वी.एस.सी.–8000 की सहायता से इसकी पुष्टि कर अनुसंधान में महत्तपूर्ण राय प्रदान की गई।

5. <u>वसीयत नामें पर अंकित हस्ताक्षरों का परीक्षण</u> :–
थाना–आमेर, जिला जयपुर (उत्तर) के प्रकरण संख्या 142/2025 में दो वसीयतनामे हस्ताक्षर परीक्षण हेतु प्राप्त हुए। इन वसीयतनामों पर अंकित हस्ताक्षरों का प्रयोगशाला के अत्याधुनिक उपकरण वी.एस.सी.–8000 की सहायता से परीक्षण कर वसीयतनामें पर अंकित हस्ताक्षरों के हाथ से नहीं किये जाकर यांत्रिक विधि से बनाये जाने के संबंध में महत्तपूर्ण राय प्रदान की गई।

6. <u>भ्रष्टाचार संबंधित प्रकरण</u> :–
थाना–सी.पी.एस., ए.सी.बी., जिला धौलपुर के प्रकरण संख्या 291/2024 में आरोपी द्वारा अवैध रूप से अर्जित राशि को लिफाफे में रखना व लिफाफों में विवरण अंकित करने से संबंधित प्रकरण में लिखावट परीक्षण हेतु लिफाफे अनुसंधान अधिकारी द्वारा भेजे गये थे। इन लिफाफों पर अंकित लिखावट का परीक्षण कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण राय प्रदान की गई।

7. <u>आत्महत्या से संबंधित प्रकरण</u> :–
थाना–कोटपूतली जिला–कोटपूतली–बहरोड के प्रकरण सं. 209/2025 में एक सुसाईड नोट परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ जिस पर अंकित लिखावट का परीक्षण तथा इसके कागज व नोटबुक पर लिखावट के इंडनटेशन मार्क्स का उपकरण ई. एस.डी.ए. की सहायता से परीक्षण कर सुसाईड नोट की लिखावट का कागज, नोट बुक से ही निकाले जाने के संबंध में महत्तवपूर्ण राय दी गई।

<u>रसायन प्रकरण</u> :–

1. <u>अज्ञात तरल पदार्थ के परीक्षण में सल्फयूरिक एसिड की पुष्टि</u> :–
अभियोग संख्या 134/2023 धारा 379, 120 आई. पी. सी. थाना मौजमाबाद, जिला –दूदू के अन्तर्गत एक रोड साइड establishment में अज्ञात तरल पदार्थ से भरी केन प्राप्त हुई। यह पदार्थ प्रयोगशाला में रासायनिक /ज्वलनशीलता परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ। प्रयोगशाला में रासायनिक परीक्षणोपरान्त इस तरल पदार्थ मे उपस्थित सल्फ्यूरिक एसिड होने की पुश्टि की गई।

2. <u>लोहे की पटाक में गंधक की पुष्टि</u> :–
अभियोग संख्या 537/2024 धारा 105 बीएनएस थाना सदर हिण्डौन जिला–करौली के अन्तर्गत एक घटना में प्रयुक्त प्रादर्श लोहे की पटाक में सल्फर की उपस्थिति हेतु राय चाही गई । प्रयोगशाला में गहन रासायनिक परीक्षणोपरान्त प्रादर्श में गंधक की उपस्थिति बताई गई जिससे कि अनसंधान में सहायता मिली।

<u>आर्सन एवं एक्सप्लोजिव प्रकरण</u> :–

1. <u>गुणवत्ता जांच प्रकरण में डीजल की उपस्थिति की पुष्टि</u> :–
अभियोग संख्या 29/2024, धारा 420 आईपीसी व 3/7 ई.सी. एक्ट, थाना–डाबला ,जिला– नीम का थाना (झुन्झूनूं), के अंतर्गत 11 प्रादर्श बायोडीजल की गुणवत्ता की जांच हेतु प्राप्त हुये। प्रयोगशाला में परीक्षणोपरांत समस्त प्रादर्शों में बायोडीजल की उपस्थिति को आईएस मानकों के अनुसार नकारते हुए डीजल की उपस्थिति बताई गई। साथ ही 11 प्रादर्शों में से 9 प्रादर्शों की आईएस मानकों के आधार पर डीजल होने की पुष्टि की गई एवं दो प्रादर्शों में अधिक वाष्शील घटकों की मिलावट पाई गयी जिससे अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की गयी।

2. <u>ज्वलनशील पदार्थ जांच प्रकरण में पेट्रॉलियम हाईड्रॉकार्बन की उपस्थिति</u> :–
अभियोग संख्या 34/2025, धारा 189 (2), 140 (3), 103 (1), 238, 3 (5) बीएनएस, थाना–कनेरा, जिला–चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति हेतु प्रादर्श प्राप्त हुये। घटना 25.04.2025 की है। जबकि घटना के तीन माह बाद एफआईआर दर्ज की गई।

जिसमें पता चला कि कुछ व्यक्तियों ने एक व्यक्ति को अपहरण करके हत्या कर पहचान छुपाने हेतु जलाने की घटना को अंजाम दिया। फोरेसिंक मोबाइल यूनिट के बेहतरीन सेम्पल संग्रहण व लैब द्वारा गहन जांच करते हुये संपूर्ण सेम्पल का एक्सट्रेक्शन कर प्रादर्शों में सूक्ष्म मात्रा में पेट्रोलियम हाईड्रोकार्बन के उपस्थिति की पुष्टि की जाकर अनुसंधान को उचित दिशा प्रदान की गई।

नारकोटिक्स प्रकरण :–

1. **ट्रामाडोल के स्थान पर साइप्रोहेप्टाडाइन की पुष्टि :–**
   मुकदमा नं. 202/2024, धारा 8/21, 8/22, एन.डी.पी.एस.एक्ट, थाना मुहाना, पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण के अंतर्गत प्रकरण मे पाये गये केप्सूल का ट्रामाडोल का होना बताया गया। उक्त प्रादर्श का रासायनिक एवं उपकरण द्वारा विश्लेषण करने पर ट्रामाडोल के स्थान पर साइप्रोहेप्टाडाइन, पैरासिटामोल व डाइसाइक्लोमाइन का होना पाया गया।
2. **स्मैक के स्थान पर टांके की पुष्टि :–**
   मुकदमा नं. 19/2025, धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना रामगंज, पुलिस उपायुक्त जयपुर (उत्तर) के अंतर्गत प्रकरण में जब्त पदार्थ का स्मैक होना बताया गया। उक्त प्रादर्श का रासायनिक एवं उपकरण द्वारा विश्लेषण करने पर स्मैक के स्थान पर अल्प्राजोलम, ओलान्जापीन व पैरासिटामोल दवाओं का मिश्रण पाया गया।
3. **अल्प्राजोलम के स्थान पर साइप्रोहेप्टाडाइन की पुष्टि :–**
   मुकदमा नं. 22/2025, धारा 8/21, 8/22, एन.डी.पी.एस.एक्ट, थाना सामोद, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत प्रकरण में जब्त दवाओं में अल्प्राजोलम होना बताया गया। उक्त प्रादर्श का रासायनिक एवं उपकरण द्वारा विश्लेषण करने पर अल्प्राजोलम के स्थान पर साइप्रोहेप्टाडाइन का होना पाया गया।
4. **अज्ञात पाउडर में एन.डी.पी.एस ड्रग की पुष्टि :–**
   मुकदमा नं. 27/2025, धारा 137(2), 351(2) बी.एन.एस., 3, 4 पोक्सो एक्ट, 3(1), 3–2(w)एससी/एसटी एक्ट, थाना–सपोटरा, पुलिस अधीक्षक– करौली के अंतर्गत प्रकरण में जब्त अज्ञात पाउडर का रासायनिक एवं उपकरण द्वारा विश्लेषण करने पर एन.डी.पी.एस ड्रग लोराजेपम का होना पाया गया।

अस्त्रक्षेप प्रकरण :–

1. **बहुचर्चित हत्या काण्ड संबन्धित प्रकरण :–**
   प्रकरण संख्या 371/2025, दिनांकः 07.10.2025, थाना–कुचामन सिटी, जिला–डीडवाना कुचामन के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में जिन्दा कारतूस, कारतूस खोखा, बुलेट, स्वाब एवं वुण्ड स्किन परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुऐ। उक्त प्रकरण से सम्बन्धित प्रकरण संख्या 172/2025 दिनांक 07.10.2025, थाना–नरैना, जिला–जयपुर ग्रामीण में प्राप्त पिस्टल, मैगजीन, जिन्दा कारतूस का प्रकरण संख्या 371/2025 में प्राप्त खोखा व बुलेट से मिलान कर अस्त्रक्षेप सम्बन्धी जाँच की गयी एवं प्रकरण की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
2. **प्रतिष्ठान पर फायरिंग व एक करोड रूपये की फिरौती संबन्धित प्रकरण :–**
   प्रकरण संख्या– 317/2024 दिनांक– 16.12.2024, थाना–चिडावा, जिला–झुन्झुनू के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण में 02 पिस्टल, जिन्दा कारतूस, कारतूस खोखा बुलेट, Wooden and Glass Piece of Counter परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में प्राप्त हुऐ जिस पर अस्त्रक्षेप सम्बन्धी जाँच की गयी एवं प्रकरण की महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।

भौतिक प्रकरण :–

1. **चलती बस मे लगी आग का कारण बना A.C. मे शॉर्ट सर्किट :–**
   मुकदमा नम्बर–98/2025, दिनांक–15.10.2025 पुलिस थाना– सदर जैसलमेर, जिला–जैसलमेर के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण मे चलती स्लीपर बस मे आग लगने के कारण बस मे सवार लगभग 25 यात्रियों के जिंदा जल जाने से संबधित अतिसंवेदनशील प्रकरण मे घटनास्थल पर जली हुई बस का बारीकी से निरीक्षण किया जाकर बस मे आग लगने का कारण A.C. मे शॉर्ट सर्किट का होना पाया गया साथ ही यात्रियों के बस से न निकल पाने के कारणों का भी पता लगाया गया जिससे प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई।
2. **सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के ट्रोमा सेंटर के आई.सी.यू. मे लगी आग के कारणों की जांच :–**
   राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर के ट्रोमा सेंटर के द्वितीय तल पर स्थित आई.सी.यू.–II में

दिनांक–05–10–2025 की रात को अचानक आगजनी की घटना से वहां उपचाररत कई मरीजो की मृत्यु होने की घटना से संबधित संवेदनशील प्रकरण में घटनास्थल का निरिक्षण किया जाकर तथा घटनास्थल से प्राप्त प्रादर्शो की वैज्ञानिक जांच कर आग लगने के कारणो को स्पष्ट कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई।

3. <u>राजस्थान हाई कोर्ट की नई इमारत मे खामियों की जांच</u> :–
मुकदमा नम्बर–411/2024, पुलिस थाना–कुड़ी भगतासनी, जिला–जोधपुर (पश्चिम) के अन्तर्गत राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग के निर्माण के तीन वर्ष में ही स्वतः क्षतिग्रस्त होकर जर्जर अवस्था में होने के प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट की नई बिल्डिंग का बारीकी से निरीक्षण किया जाकर नई बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने के मुख्य कारणों का पता लगाया जाकर, प्रकरण के अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई।
4. <u>बहुचर्चित हत्या के प्रकरण मे गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली ऑडिओ से आवाज का मिलान</u> :–
Investigation Agency (NIA) मे दर्ज प्रकरण संख्या–RC-02/2023/NIA/JPR में राज्य के बहुचर्चित हत्या के प्रकरण मे आवाज का मिलान सम्बंधित परीक्षण कर राय प्रदान की गयी जिससे प्रकरण में महत्वपूर्ण सहायता मिली।
5. <u>सूक्ष्मदर्शी परीक्षण मे दिखे साक्ष्यों से रेल्वे स्टेशन जयपुर के वीआईपी कक्ष मे लगी आग के कारणों का खुलासा</u> :–
प्रकरण संख्या–46/2025, पुलिस थाना–जीआरपी जयपुर, से संबंधित प्रकरण मे रेल्वे स्टेशन जयपुर के वीआईपी कक्ष मे लगी आग के कारण की जांच हेतु घटनास्थल से लिए गए वायरों पर सूक्ष्मदर्शीक स्तर पर पाए गए साक्ष्यों के आधार पर शॉर्ट सर्किट की पुष्टि की गई।
6. <u>**Sound Level Meter की सहायता से घटना का पुनर्निर्माण कर परिजनों द्वारा दिए गए तथ्यों की पुष्टि**</u> :–
प्रकरण संख्या–546/25 थाना अकलेरा जिला–झालावाड़ में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु से संबंधित प्रकरण मे घटना का पुनर्निर्माण कर_मृतका के शरीर पर आयी चोटों व परिजनों द्वारा दिए गए संदिग्ध बयानों की पुष्टि, घटनास्थल वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में आवाज के स्तर (Sound Level) में परिवर्तन का Sound Level Meter की सहायता से जांच की गयी जिससे प्रकरण के अनुसंधान को नई दिशा मिली।
7. <u>**NDPS ACT अति अतिसंवेदनशील प्रकरणों मे जप्त किए गए वाहनों के असली इंजन/चैसिस नंबरों का RESTORATION**</u> :–
राजस्थान के विभिन्न जिलों के भिन्न–भिन्न थानों मे NDPS ACT अति अतिसंवेदनशील प्रकरणों मे जप्त किए गए वाहनों के असली इंजन/चैसिस नंबर RESTORE कर प्रकरणों के अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की गई।

पोलीग्राफ खण्ड प्रकरण :–

1. **स्कूल टीचर को ब्लैकमेल करके हत्या करने का प्रकरण** :–
पुलिस थाना– माधोराजपुरा, जिला– जयपुर ग्रामीण, प्रकरण संख्या– 43/25, दिनांक– 10/05/2025, धारा– 103(1) BNS के अंतर्गत अनुसन्धान अधिकारी ने बताया कि एक स्कूल टीचर की हत्या कर उसका मृत शरीर उसी के गाव के चबूतरे पर रखा था। अनुसन्धान के दौरान कुछ तथ्य सामने आये जैसे कि, स्कूल टीचर ने अपने घर में नाबालिक छात्रा के साथ अश्लील हरकते की, जिसका किसी के द्वारा विडिओ बनाया गया। उस विडिओ को लेकर स्कूल टीचर को ब्लैकमेल किया गया। इसके अलावा मृतक के अपने परिवार की औरतों व लडकियों के साथ भी अश्लील बर्ताव थे। इस प्रकरण में कुल 12 व्यक्तियों का संदिग्ध के रूप में पोलीग्राफ परिक्षण किया गया। जिनमे से कुछ ब्लैकमेलर्स थे और कुछ उसके परिवार के लोग थे। कुल बारह में से दो ब्लैकमेलर्स व एक परिवार के सदस्य का मृतक की गला घोटकर हत्या करने एवं उसी परिवार के सदस्य का मृतक के हत्यारे को जानने से सम्बंधित सवालों पर "झूठ बोलते" हुए पाए गए तथा अन्य तीन संदिग्ध व्यक्ति "सच बोलते" पाए गये। इस प्रकार पोलीग्राफ परीक्षण द्वारा प्रकरण के अनुसन्धान में सहायता एवं दिशा प्रदान की गई।
2. <u>**व्यक्ति का उसके ही दोस्तों द्वारा अपहरण करने का प्रकरण**</u> :–
पुलिस थाना ,शिवगंज, जिला– सिरोही के प्रकरण संख्या 179/25, दिनांक – 22/09/2025, धारा 140(3) BNS के अंतर्गत एक व्यक्ति को उसके

तीन दोस्तों द्वारा अपहरण करने का प्रकरण दर्ज हुआ। संदिग्धों के बयानानुसार वे चारों मित्र नदी पर नहाने निकले थे, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने के कारण संदिग्धों में से कोई पानी में नही उतरा, पर लापता व्यक्ति दोस्तों के मना करने के बावजूद नशे कि हालत में तेज बहाव वाले पानी में उतर गया और डूब के बह गया। संदिग्धों के बयानों तथा उन पर लगे आरोपों कि सत्यता की जाँच करने के लिए पोलीग्राफ परिक्षण किया गया। पोलीग्राफ परिक्षण में तीनो संदिग्धों ने लापता व्यक्ति के अपहरण में शामिल होने के सवालों पर इंकार किया। पोलीग्राफ परिक्षण के परिणाम में तीनो संदिग्ध "सच बोल रहे है" यह पाया गया। अतः संदिग्धों का लापता व्यक्ति के अपहरण में शामिल नही होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

3. <u>फरियादी पुत्र द्वारा ही पिता कि हत्या का प्रकरण</u> :–

   पुलिस थाना– मोटागांव, जिला– बांसवाडा, प्रकरण संख्या– 09/25, दिनांक – 05/01/2025, धारा– 103(1), 238(अ) BNS के अंतर्गत व्यक्ति के सिर पर गंभीर घाव कर हत्या का मामला दर्ज हुआ, जिसमें फरियादी पुत्र ही अनुसन्धान दौराने संदिग्ध पाया गया। पोलीग्राफ परिक्षण के दौरान संदिग्ध ने सारे सवालों से इंकार कर दिया। परिणामस्वरूप मृतक पिताजी के साथ उसका झगड़ा होने, खून से सने कपड़े बदलने और मृतक के कान से मिर्कियाँ निकालने के सवालों पर संदिग्ध के "झूठ बोलने" के संकेत पोलीग्राफ परिक्षण द्वारा प्राप्त हुए। जिससे संदिग्ध पुत्र का मृतक पिता की हत्या में शामिल होने का अनुमान लगाया जा सकता है।

4. <u>नाबालिग बालिका का अपहरण कर 13 माह तक बंदी बनाकर रखने व छेड़खानी करने का प्रकरण</u> :–

   पुलिस थाना– कुंडेरा, जिला– सवाई माधोपुर, प्रकरण संख्या– 69/25, दिनांक – 27/03/2025, धारा– 137(2) BNS के अंतर्गत अनुसन्धान अधिकारी से जानकारी मिली कि जमीनी विवाद के चलते एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसे 13 माह तक बंदी बनाकर रखने व छेड़खानी करने के आरोप चार संदिग्ध जिनमें से दो राजनीतिक व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी व एक होटल मालिक पे लगाए गये। पोलीग्राफ परिक्षण के दौरान चारो संदिग्धों ने उनका इस अपहरण में शामिल होने के सन्दर्भ में पूछे गये सभी सवालों पर इंकार कर दिया। पोलीग्राफ परिक्षण के परिणाम में चारो संदिग्ध "सच बोल रहे है" यह पाया गया। अतः संदिग्धों का नाबालिग बालिका के अपहरण में शामिल नही होने तथा छेड़खानी नही करने का अनुमान लगाया जा सकता है।

<u>फोटो खण्ड प्रकरण</u> :–

1. <u>पोक्सो संबंधित प्रकरण में आरोपी के कन्ट्रोल फोटोग्राफ व विडियो में चेहरे का मिलान संबंधित परीक्षण</u> :–

   मुकदमा नं. 388/2022 दिनांक 21.11.2022, धारा–376(2)(द)भादस व 3/4, 5/6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पोक्सो एक्ट व 67 बी आईटी एक्ट, पुलिस थाना– मालवीय नगर, जिला– जयपुर शहर (पूर्व) के संबंध में फोटो अनुभाग में आरोपी एवं पीड़िता की पहचान हेतु मोबाईल फोन में स्थित घटना के फोटो/ विडियो का कन्ट्रोल फोटो से मिलान संबंधित परीक्षण कर अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

2. <u>बांग्लादेशी नागरिक द्वारा कूटरचित आधार कार्ड के फोटो का परीक्षण</u> :–

   मुकदमा नं. 03/2024 दिनांक 05.02.2024, धारा– 419, 420, 467, 468, 471, 120B IPC, 14 Foreigners Act, 12 Passport Act पुलिस थाना– एसओजी राजस्थान जयपुर, जिला– जयपुर के संबंध में फोटो अनुभाग में आरोपी बांग्लादेशी नागरिक के पासपोर्ट, वीजा, आधार कार्ड एवं मोबाईल सिम खरीदने के फार्म पर लगी फोटो एवं आरोपी के कन्ट्रोल फोटो का मिलान संबंधित परीक्षण कर अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

3. <u>पटवार परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के फोटो मिलान हेतु परीक्षण</u> :–

   मुकदमा नं. 0021/2024 दिनांक 09.05.2024, धारा– 419, 420, 467, 468, 471, 120B IPC and 3,4,6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992, पुलिस थाना– एसओजी, राजस्थान जयपुर, जिला– जयपुर के संबंध में पटवार परीक्षा में डमी अभ्यर्थी

के कन्ट्रोल्ड एवं विवादरहित फोटो का वास्तविक अभ्यर्थी के विवादरहित फोटो एवं विवादित फोटो सं मिलान संबंधित परीक्षण कर अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

4. <u>उपनिरीक्षक परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के फोटो मिलान हेतु परीक्षण</u> :–

मुकदमा नं. 10/2024 दिनांक 03.03.2024, धारा– 216] 419, 420, 467, 468, 471, 477, 477A, 408, 409, 201, 109, 34, 120B IPC; 66D IT ACT and 4,5,6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992, पुलिस थाना– एसओजी राजस्थान जयपुर, जिला– जयपुर के संबंध में उपनिरीक्षक परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के कन्ट्रोल्ड फोटो, वास्तविक अभ्यर्थी के कन्ट्रोल्ड फोटो एवं विवादरहित फोटो का विवादित फोटो से मिलान संबंधित परीक्षण कर अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

5. <u>मुल्जिम द्वारा 4 वर्षीय बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म की घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा मुल्जिम के कन्ट्रोल फोटोग्राफ व विडियो से मिलान हेतु परीक्षण</u> :–

मुकदमा नं. 337/2024 दिनांक 11.12.2024, धारा–65() BNS 2023 & 5M/6 POCSO ACT, पुलिस थाना– अशोक नगर, जिला– जयपुर शहर (दक्षिण) के संबंध में फोटो अनुभाग में आरोपी की पहचान हेतु वक्त घटना पहने कपड़े एवं कन्ट्रोल विडियो व फोटो में पहने कपड़े समान पाये गये। फेस मेचिंग में फोटो/विडियो मिलान संबंधित परीक्षण कर अनुसंधान में महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।

घटनास्थल निरीक्षण : महत्त्वपूर्ण प्रकरण

1. **एक वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना में घटनास्थल व अभियुक्त की पहचान** :–

पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर जिला–जयपुर (पूर्व) के प्रकरण संख्या–34/25 के अन्तर्गत घटनास्थल आमागढ टीबा, परकोटे के पास ट्रांसपोर्ट नगर में लगभग एक वर्षीय बालिका के साथ दिनांक 06.02.2025 को अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म में घटना कारित होना सामने आने पर पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा एफ.एस.एल. यूनिट को घटनास्थल निरीक्षण हेतु मौके पर बुलाया गया।

एफ.एस.एल. यूनिट द्वारा घटनास्थल कमरे का निरीक्षण करने पर कमरे में एक मानव रक्त लगी रजाई व जींस–पेंट पड़ी मिली। घटनास्थल से लगभग 700 मीटर की दूरी पर खड़े एक ठेले पर मानव रक्त की उपस्थिति मिली। घटनास्थल से लिये जींस–पेंट व ठेले पर मिले रक्त में संदिग्ध व्यक्ति व पीड़िता का डी.एन.ए. प्रोफाईल आपस में मिलान होने से अभियुक्त की पहचान में मदद मिली।

2. **नबालिग बालिका के साथ बलात्कार के बाद हत्या के प्रकरण में घटनास्थल व अभियुक्त की पहचान** :–

पुलिस थाना प्रताप नगर, जिला– जयपुर (पूर्व) के प्रकरण संख्या– 140/25 के अन्तर्गत दिनांक 24.02.2025 को 6 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को मकान के छत पर फैंके जाने की घटना में एफ.एस.एल. टीम द्वारा घटनास्थल मकान का निरीक्षण करने पर एक चद्दर में बालिका का शव लिपटा मिला। चद्दर के पास पड़ी मिली पीड़िता की अंडरवियर तथा अभियुक्त की अंडरवियर पर मानव रक्त व वीर्य की उपस्थिति मिली। मकान के प्रथम तल पर अभियुक्त के कमरे में रक्त, मृतका बालिका की चप्पल पड़ी मिली। घटनास्थल से जप्त भौतिक साक्ष्यों, अंडरवियर पर लगे रक्त सैम्पल व चप्पलों पर लगे रक्त का डी.एन.ए. प्रोफाईल अभियुक्त व पीड़िता के डी.एन.ए. प्रोफाईल से मिलान होने से मूल घटनास्थल व अभियुक्त की पहचान होने में मदद मिली।

3. **हत्या संबंधित प्रकरण में साक्ष्य संकलन** :–

प्रकरण संख्या : 204/25, दिनांक : 08.06.2025, धारा : 103(1) बीएनएसएस व 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट) थाना : मानटाउन, जिला सवाईमाधोपुर के मानटाउन थानान्तर्गत सीमेंट फेक्ट्री में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गयी जहाँ मोबाईल फोरेंसिक यूनिट सवाई माधोपुर द्वारा घटनास्थल पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों खून आलूदा पत्थर, खून आलूदा स्वॅाब, दो प्लास्टिक के वेड्स, मेडिकल सैंपल इत्यादि प्रादर्शों का जप्त करवा कर अग्रिम व विस्तृत परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जयपुर भिजवाने की सलाह दी गई।

4. <u>बालिका की हत्या का प्रकरण</u> :–

प्रकरण संख्या : 236/25, दिनांक : 18.07. 2025, धारा– 103(1)) 333 बीएनएसएस) थाना : टोडाभीम, जिला करौली के टोडाभीम थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पाडला गांव में एक लडकी की हत्या कर दी गयी जहाँ मोबाईल फोरेंसिक यूनिट करौली द्वारा घटनास्थल पहुंचकर महत्वपुर्ण साक्ष्यों खून आलूदा स्वॉब, खून आलूदा पत्थर व मृतका के पार्चेजात, मेडिकल सैंपल को आवश्यकतानुसार अग्रिम व विस्तृत परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. जयपुर भिजवाने की सलाह दी गई।

5. <u>सतरह दिन के बच्चे की हत्या की घटना</u> :–

पुलिस थाना–एयरपोर्ट, जोधपुर पूर्व प्रकरण संख्या 188/25 धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत एक 17 दिन के बच्चे की जादू–टोने कर हत्या की घटना हुई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, जोधपुर द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों फर्श व बिस्तर पर हल्दी पाउडर, एक सफेद रंग की चूड़ी के टुकड़े, हेयर क्लिप, नीले–सफेद रंग का बच्चे का निजरिया को खोजा गया। महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित कर अनुसंधान मे सहयोग किया गया।

6. <u>हत्या की घटना</u> :–

पुलिस थाना–माता का थान , जिला जोधपुर पूर्व प्रकरण संख्या 272/25 धारा 103(1), 3(5) BNS के अन्तर्गत एक व्यक्ति की हत्या की घटना हुई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, जोधपुर द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों हाथ व पैर नारंगी रंग के कपड़े से बंधे हुए, मृतक के पेट व पीठ पर मिर्ची पाउडर व बटन इत्यादि को खोजा गया। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ कर अनुसंधान मे सहयोग किया।

7. <u>हत्या की घटना</u> :–

पुलिस थाना–जीआरपी बीकानेर , जिला जोधपुर के प्रकरण संख्या 94/25 धारा 103(1), 3(5) BNS के अन्तर्गत ट्रेन नंबर 19224 जम्मू से साबरमती सवारी गाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या की घटना हुई। इस प्रकरण को मोबाईल फोरेन्सिक यूनिट, जोधपुर द्वारा जोधपुर रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन को रूकवाकर पर पहुँचकर महत्वपूर्ण साक्ष्यों रक्त के धब्बे, चाकू पर रक्त व रेल चद्दर पर रक्त इत्यादि को खोजा गया। उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर घटना की कड़ी से कड़ी जोड़ कर अनुसंधान मे सहयोग किया।

8. <u>अजमेर में होटल में आगजनी केस</u> :–

अजमेर के बहुचर्चित होटल में हुई आगजनी में 04 व्यक्तियों की मृत्यु के प्रकरण में शॉर्ट सर्किट की पुष्टि पुलिस थाना–क्लॉक टावर, अजमेर के प्रकरण एफ.आई.आर. नं. 75/2025 में मोबाइल फोरेन्सिक यूनिट, अजमेर व भौतिक अनुभाग के विशेषज्ञ के द्वारा G+5 बिल्डिंग होटल, डिग्गी बाजार, अजमेर स्थित अपराध घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया तथा होटल के भूतल पर निर्मित हॉल में रिसेप्शन काउन्टर के पास व सीढ़ियों के मध्य पाए गये इलेक्ट्रिक पैनल व इसके आस–पास पाए गये ताप प्रभावित धात्विक इलेक्ट्रिक वायर में से कुछ वायर पर metal globules निर्मित पाए गये, उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर MFU अजमेर द्वारा घटनास्थल पर शॉर्ट सर्किट होने तथा शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की सम्भावना की पुष्टि की गयी ।

मोबाईल फोरेंसिक यूनिट, अजमेर द्वारा घटनास्थल निरीक्षण कर आग के कारणों का खुलासा मौके पर ही कर दिया गया ।

9. <u>पोक्सो प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन</u> :–

पुलिसथाना सिद्धमुख, जिला– चूरू में दिनांक 27.02.2025 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलिसथाना सिद्धमुख अंतर्गत गाँव टुंडा खेड़ी में दिनांक 26.02.2025 शाम को अपने घर के आगे खेल रही 4 वर्षीय नाबालिक बच्ची को मुल्जिम द्वारा बहला–फुसलाकर अपने घर के कमरे में ले जाकर बच्ची के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश करने पर बच्ची के चिल्लाने पर आस–पड़ोस के लोगों द्वारा बच्ची को मुल्जिम से छुड़वाया जाना व बच्ची के परिजनों व पुलिसथाना सिद्धमुख में सूचना दिया जाना बताया गया। मोबाइल फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल कमरे का गहनता से निरीक्षण किया गया । घटनास्थल कमरे में चारपाई पर पायी गयी बैडशीट पर सफेद रंग के चमकीले धब्बे पाए गये, जो प्रथम दृष्टया सीमन के प्रतीत होने के साक्ष्य पाये गये। साक्ष्य संकलन से अनुसंधान में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।

10. **<u>हत्या कर शव को मिटटी में दबाने संबंधी प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलन</u>** :–

पुलिसथाना रतननगर, जिला– चूरू में दिनांक 21.12.2025 को अनुसंधान अधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलिसथाना रतननगर अंतर्गत एनएच 52 पर कच्चे रस्ते के किनारे खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिट्टी में दबा होने की सूचना पर मोबाइल फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंच कर घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया प्रथम दृष्टया मृतक की रस्सी से गला घोटकर हत्या करके शव को मिट्टी में दबाया जाना प्रतीत हुआ। घटनास्थल से शव दबा होने के स्थान से मिट्टी की सेम्पलिंग करवाई गयी तथा मृतक के गले में बंधी रस्सी व मुंह पर बंधे तौलिया तथा विसरा आदि के साक्ष्य संकलन करवाये गये।

11. **<u>हत्या से संबंधित प्रकरण</u>** :–

प्रकरण संख्या–547/2025, धारा–189(2),115(2),126(2),109(1)बी.एन.एस., पुलिस थाना–उद्योगनगर, जिला–कोटा शहर में दिनांक 07/11/2025 को एक युवक की हत्या की सूचना पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा शहर द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य प्लास्टिक वेडस, रक्त इत्यादि को खोजकर प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग किया गया।

12. **<u>हत्या के प्रयास संबंधित प्रकरण</u>** :–

प्रकरण संख्या–94/2025, धारा–109(1),115(2),126(2),3(5) बी.एन.एस., 3/25 आर्म्स एक्ट, पुलिस थाना–कैथूनीपोल, जिला–कोटा शहर में दिनांक 17/11/2025 को एक युवक की हत्या के प्रयास की सूचना पर मोबाईल फोरेंसिक यूनिट कोटा शहर द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर वाहन पर फायरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्यों बुलेट, कार्ट्रिज केस, हिट मार्क्स इत्यादि को खोजकर प्रकरण के अनुसंधान में सहयोग किया गया।

13. **<u>नामी स्कूल, मानसरोवर, जयपुर में एक छात्रा के ऊँचाई से गिरकर मौत होने के प्रकरण में एफ.एस.एल. की महत्वपूर्ण भूमिका</u>** :–

मुकदमा संख्या–927/2025, दिनांक 01.11.2025, धारा–106(1) बी.एन.एस., पुलिस थाना–मानसरोवर, जिला–जयपुर (दक्षिण) के अन्तर्गत नामी स्कूल परिसर की चौथी मंजिल से गिरकर मृत्यु होने के सम्बंध में पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा एफ.एस.एल. टीम को मौके पर बलाकर कार्यवाही करवायी गयी।

एफ.एस.एल. यूनिट, जयपुर शहर द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर निरीक्षण करने पर स्कूल की चौथी मंजिल की रैलिंग के नीचे

ग्राउण्ड फ्लोर की सिढियों पर मानव रक्त के धब्बे पाये गये। घटनास्थल पर मिले भौतिक साक्ष्यों से बालिका के चौथी मंजिल की रैलिंग से नीचे गिरने के स्थान की पुष्टी हुई।

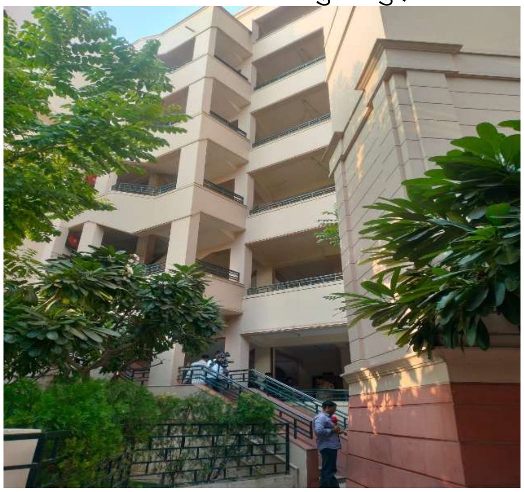

13. <u>एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की घटना</u> :—

मु. संख्या 220 / 2025 धारा 189(2), 103(1) बीएनएस दिनांक 25.09.2025 थाना नगर जिला डीग में पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस थाना नगर जिला डीग के अन्तर्गत गांव दुदावल में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की घटना से संबंधी प्रकरण में घटनास्थल के फोरेन्सिक निरीक्षण के दौरान छत पर लगे धात्विक कुंदे में प्रथम दृष्ट्या लगे हुए जाले Intact पाये गये। कमरे के छत पर लगी धात्विक गार्डर के धात्विक कुंदे पर लगे सीलिंग फैन की पंखुडियों पर डस्ट पैटर्न सुरक्षित पाया गया। कमरे की धरातल पर एक रस्सी के दो टुकडे पाये गये। उचित साक्ष्य संकलन कर प्रकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

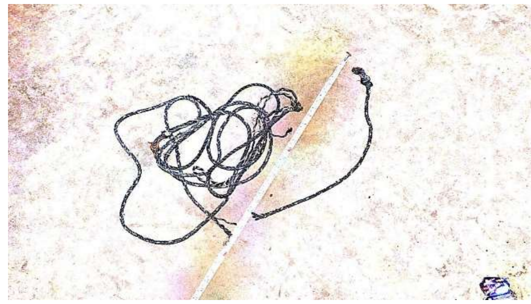

14. <u>पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड होने की घटना</u> :—

मु0 सं0—268 / 2025 धारा 109(1), 132, 3, 25(6) बीएनएस दिनांक 07.11.2025 थाना खोह जिला डीग में गांव हायातपुर से जठीरी पहाड की तलहटी के पास पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड प्रकरण के घटनास्थल का फोरेन्सिक विश्लेषण किया गया। घटनास्थल निरिक्षण के दौरान टायर ट्रेड इम्प्रेशन, खाली पर्स, तीन बडे धात्विक खोल व दो छोटे धात्विक खोल, एक हथियार, एक काले सफेद रंग की मोटर साईकिल एवं दो स्थानों पर लाल रंग के धब्बे पडे हुये पाये गये जिनका मानव रक्त हेतु ओबीटीआई किट द्वारा रसायनिक परीक्षण करने सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये। जिनका साक्ष्य संकलन करवाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्षैत्रीय प्रयोगशालाओं का पता व दूरभाष

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राजस्थान, जयपुर	
डॉ. अजय शर्मा, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2301584, 0141–2301859 (फैक्स), 9414301466 ई–मेल:director.fsl@rajasthan.gov.in
डॉ. राजेश सिंह, अतिरिक्त निदेशक(घटनास्थल एवं एफटीआरआई), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान नेहरू नगर, जयपुर,–302016	0141–2990167, 9414956547 ई–मेल:addldirector.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर	
डॉ. शालू मलिक, प्रभारी अतिरिक्त निदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला 8 मील चुंगी नाका, नागौर रोड,मण्डोर, जोधपुर–342304	0291–2577966, 2577259, 9414919021 ई–मेल:rfsl.jodhpur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर	
डॉ. परमजीत सिंह, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, चित्रकूट नगर, बुहाना–प्रतापनगर बाईपास, उदयपुर–313001	0294–2980133, 9460343351 ई–मेल: rfsl.udaipur.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा	
डॉ. राखी खन्ना, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, फोरेंसिक हाऊस, आर.ए.सी. ग्राउण्ड, रावतभाटा रोड,कोटा–324009	0744–2401644, 2400644, 9529791877 ई–मेल: rfsl.kota.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर	
डॉ. वी. वेंकटेश, प्रभारी अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 10वीं आर.ए.सी बटालियन के पीछे, करणी नगर, बीकानेर–334003	0151–2941555, 9414478543 ई–मेल: rfsl.bikaner.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर	
श्री राजवीर, अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जनाना हास्पिटल के सामने, सीकर रोड, अजमेर–305004	0145–2942581, 9414249466 ई–मेल: rfsl.ajmer.fsl@rajasthan.gov.in
क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, भरतपुर	
श्री आर. के. मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक,क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ए–94 रणजीत नगर,भरतपुर–321001	05644–294390, 9414827236 ई–मेल: rfsl.bharatpur.fsl@rajasthan.gov.in

विशेष पहल एवं वर्ष 2025 की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

1. एफ.एस.एल राजस्थान द्वारा वर्ष 2025 में डीएनए के रिकोर्ड 9501 प्रकरणों का निस्तारण किया गया जो कि गत वर्ष से 80 प्रतिशत अधिक है इसमें 4865 पोक्सो प्रकरणों का भी रिकोर्ड निस्तारण किया जाकर लंबित पोक्सो प्रकरणों की सख्या में कमी लाई गई।
2. क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर, अजमेर व बीकानेर में पोक्सो के प्रकरणों में 15 दिवस में डीएनए रिपोर्ट देना सुनिश्चित कर दिया गया है।
3. एफएसएल राजस्थान द्वारा अन्य राज्य के एफएसएल अधिकारियों को स्नैक वैनम जांच सम्बंधित प्रशिक्षण दिया गया।
4. केन्द्रीय जांच ऐजेन्सी जैसे एनआईए, सीबीआई व भारतीय सेना के प्रकरणों में फोरेंसिक जांच सुविधा उपलब्ध करवायी।
5. अन्य राज्यों के proficiency test राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान द्वारा किया जा रहा है।
6. नवीन कानून भारतीय सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 176 (3) के अन्तर्गत राज्य के 307 पुलिस थानों का नोटिफिकेशन करवाया जाकर नवीन आपराधिक कानूनों के तहत रिकोर्ड 8000 घटनास्थलों का निरिक्षण कार्य किया गया।

भविष्य की योजना

1. समस्त डीएनए प्रकरणों की प्रकरण प्राप्ति से 15 कार्य दिवस में रिपोर्ट उपलब्ध करवाना।
2. समस्त क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए, नारकोटिक्स व साईबर खण्ड क्रियान्वित करना।
3. नवीन कानून के अन्तर्गत प्रदेश में 98 मोबाईल फोरेंसिक यूनिट क्रियाशील करना।
4. नवीन कानून भारतीय सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 176 (3) के अन्तर्गत राज्य के शेष रहे 733 पुलिस थानों का वर्ष 2026 में नोटिफिकेशन करवाया जाना प्रस्तावित है।
5. एफएसएल में नारकोटिक प्रकरणों को प्रयोगशाला में प्राप्ति के 60 दिवस में परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाना।
6. प्रदेश में 05 नवीन क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करना।

झलक—2025

नव विधान प्रदर्शनी में एफएसएल पवेलियन का अवलोकन करते माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री राजस्थान एवं अन्य उच्च अधिकारी।

वर्तमान राजस्थान सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियों पर लगाई गई प्रदर्शनी पर मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को विभाग की जानकारी देते हुए निदेशक एफएसएल, राजस्थान।

एफएसएल मुख्यालय में योगा दिवस कार्यक्रम।

नव विधान कानूनों पर पुलिस अधिकारियों को जानकारी देते निदेशक व अतिरिक्त निदेशक एफएसएल।

नव अत्याधुनिक मोबाईल फारेंसिक वाहन की आई.जी. उदयपुर रेंज को जानकारी देते हुए अतिरिक्त निदेशक, आरएफएसएल उदयपुर।

प्रशिक्षु आरजेएस अधिकारियों को एफएसएल संबंधी प्रशिक्षण।

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अजमेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बीकानेर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जोधपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उदयपुर

क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, कोटा

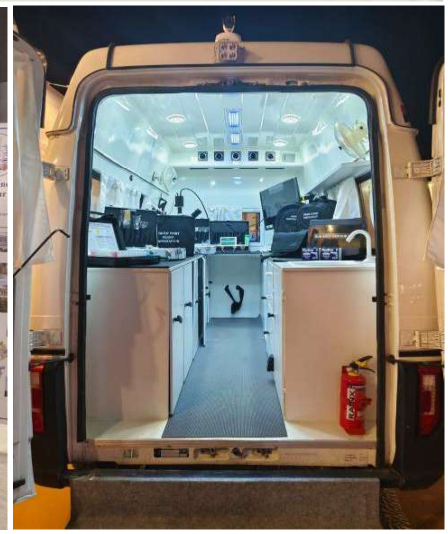

राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला

गृह विभाग, राजस्थान सरकार

STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY

Home Department, Govt. of Rajasthan

Neharu Nagar, RPA Road, Jaipur-302016,
Phone 0141-2301584, Fax 0141-2301589
website:- www.home.rajasthan.gov.in/sfsl